

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH NEW DELHI
IN
ORIGINAL APPLICATION NO. 41 OF 2020

IN THE MATTER OF:

PUSHPENDRA KUMAR

.....APPLICANT

VERSUS

NAGARPANCHAYAT, KADAURA &

ORS

..RESPONDENT

INDEX

Sr No	PARTICULAR	Pages
1	Objection filed by applicant to the report filed by UPPCB before honorable tribunal on dated November 27, 2020 along with affidavit.	1 - 20
2	<u>ANNEXURE 1</u> 1. True copy of 3rd Notice issued to temporary encroachers of Sadar Pond by Nagar Panchayat Kadaura on January 7, 2021 which Contradict UPPCB report dated November 27, 2020 report mentioning all 41 temporary encroachment of the pond are removed. 2. True copy of page no 2 of UPPCB report dated November 27, 2020 mentioning all temporary	21 - 25

	encroachment of the pond are removed.	
2	<p><u>ANNEXURE 2</u></p> <p>1. Government certified true copy of map of sadar pond ,</p> <p>2. True copy of latest CCTV footage of Sadar Pond and</p> <p>3. True Photographs of Pond showing encroachment and poisonous water of pond,</p> <p>4. True copy of google image of the pond.</p>	26 - 32
3	<p><u>ANNEXURE 3</u></p> <p>True CCTV footage of UPPCB Officer standing in front of temporary encroachment around Sadar Pond, true photograph of UPPCB officer standing inside Cotton mill .</p>	33 - 34
4	<p><u>ANNEXURE 4</u></p> <p>1. A True photograph of illegal Cotton Mills runing in open in Ramlila Maidan (residential area of town),</p> <p>2. A True photograph of illegal dumping of stones and harmful smog of stones at ramlila maidan (reasidential area of town) by nagar panchayat Kadaura.</p>	35 - 36
5	<p><u>ANNEXURE 5</u></p> <p>True photographs of burning of solid waste and garbage by Nagar</p>	37

	Panchayat , Kadaura.	
6	<p><u>ANNEXURE 6</u></p> <p>1.True copy of notice issued to Nagar Panchayat, Kadaura by UPPCB for not following Solid Waste Management and Handling) Rules, 2000 dated January 17, 2004.</p> <p>2.True copy of notice no 99/OA-41/20 dated June 18,2020</p>	38-44
7	<p><u>ANNEXURE 7</u></p> <p>1.True copy of civil cases filed by encroachers of Sadar pond on October 1,2020 Civil Court of Judicial Magistrate ,Kalpi on the basis of notice issued post NGT order vide dated Februray 17,2020 violation of section 29 of NGT act.</p> <p>2.True copy of Rent Receipt and encroachment Notice both issued by Nagar Panchayat to the illegal occupants</p>	45-53
8	<p><u>ANNEXURE 8</u></p> <p>1.True copy of Ground water level report of town Kadaura by Ground water department of UP.</p> <p>2.True copy of Lekhpal report on IGRS no 40016519017615 mentioning encroachment on pond 311 by Nagar Panchayat Kadaura.</p>	54-55

9	<u>ANNEXURE 9</u> Copy of Media reports.	56 - 66
---	---------------------------------------------	---------

पुष्पेन्द्र कुमार

APPLICANT

Kalpi , Jalaun

Dated : January 7, 2021

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH NEW DELHI

IN

ORIGINAL APPLICATION NO. 41 OF 2020

IN THE MATTER OF:

PUSHPENDRA KUMAR

.....APPLICANT

VERSUS

NAGARPANCHAYAT, KADAURA &

ORS

..RESPONDENT

**OBJECTION TO THE REPORT FILED BY UPPCB BEFORE
HONORABLE TRIBUNAL ON 27.11.2020 UPLOADED ON WEBSITE ON
04.12.2020**

MOST RESPECTFULLY SHOWETH

1. As per your orders in OA no 41 of 2020 (Pushendra Kumar vs Nagar Panchayat Kadaura) on 17th February, 2020 and June 23, 2020 clear directions were given to District Magistrate, Jalaun, UPPCB and Nagar

Panchayat ,Kadoura , to clean and restore , the water bodies of town including main pond (sadar talab) of Town ,Solid waste Management, ban on dumping and burning of Solid Waste and Plastic garbage in open inside residential area of town . Original petition also consist prayer to ban on cutting and swabbing , ginning of cotton by machines operated by diesel engines in open in residential area (Ramalila Maidan) of Town Kadoura. In your order vide dated June 23, 2020 the honorable tribunal directed the State PCB (UPPCB) to file further action taken report . The UPPCB filed a completely biased , inaccurate and false report on November 27, 2020 uploaded on tribunal website on December 4, 2020. Points & facts below with natural proof will show the honorable tribunal how UPPCB in co llusion with Nagar Panchayat ,Kadoura has presented inaccurate , false and misleading report before the honorable tribunal .

2. In page no 2 of above mentioned UPPCB report (vide dated November 27,2020) , where V.K.Dube (AEE, UPPCB) mentioned the verification report of Sadar Talab, Kadoura, Jalaun. pettioner objections with true natural proof proves it inaccurate and incomplete and biased.

Verification point	UPPCB Comment	<u>Pettioner Objections</u>
Has Encroachment is present at land of Sadar Talab or demolished by Nagar Panchayat,	1. 41 Nos temporary encroachment has been removed. 2. 18 Nos constructed encroachment is under process.	Not even a single brick of temporary and constructed encroachment has been removed. On January 7, 2021 , Nagar Panchayat , Kadoura issued notices to the temporary encroachers vide letter no 1138/NPKadoura/Notice/2020-21

<p>kadaura ,Jalaun</p>	<p>1141/NPKadaura/Notice/2020-21, 1142/NPKadaura/Notice/2020- 21 ,1144/NPKadaura/Notice/2020-21 (true copy of notices annexed hereto & marked as Annexure 1) , this clearly proves UPPCB has made false and wrong statement before the tribunal . UPPCB officers must be punished and penalized for the same by the honorable tribunal.</p> <p>In the latest report filed by UPPCB ON NOVEMBER 27, 2020 , Page no 4 , Point no 1.1, UPPCB itself accepted encroachment all around the pond and sewage going into the pond. Page no 4 , Point no 1.1 inter alia "at present lot of encroachment has taken place all around the pond and sewer outlets of nearby residents are connected to this pond" , . Nagar Panchayat itself illegally allotted the land of sadar pond on rent and issued notice just to fulfil the formality . (Rent Receipt and encroachment notice both issued by Nagar Panchayat to the illegal occupants (true copy of same is annexed hereto and marked as Annexure 7). other encroachments was not removed under influence of Jameer Alam president of Nagar Pan chayat,Kadaura who is very close to Dr Mannan Akhtar , District</p>
------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>Magistrate of Jalaun.</p> <p>Certified true copy of map of Sadar Pond (certified copy of map is annexed hereto and marked as Annexure 2) clearly shows there is a road (path) around the Sadar Talab but CCTV footage ,photographs and Google Image of pond as on date January 7, 2021 clearly shows huge encroachment of buildings and shops around and inside the Sadar pond (true cctv footage, photo of pond and google map is annexed here as Annexure 2). CCTV footage and photographs of V.K Dubey (AEE), UPPCB standing in front of temporary encroachment on Sadar Talab during inspection on November 21,2020. (true CCTV footage and photograph of same is annexed here and marked as Annexure 3). This proofs encroachment is not removed and UPPCB has made incorrect,false and wrong report before the honorable tribunal .</p>
<p>Total number of drains which falls in Sadar Talab kadaura Jalaun in previous</p>	<p>To main drains are joining pond 1) Ramghat drain 2- chatela Marg drain near Balwant Singh house</p>	<p>All four big drains 1 .Ramghat drain, 2.Chtela Marg drain near Balwant Singh house 3.main market drain 4. purana Bajar drain including the sewage of illegal occupant's shops and houses are still</p>

		<i>falling into the Sadar Talab</i> . even after one year of your first order vide dated February 17,2020.
Number of drains which has been ped at present	Main market purana Bajar drain.	No drain is tapped . all drains of town and sewage and westage water of illegal buildings on Sadar pond is directly falling in to the sadar talab even after one year of order of honorable tribunal.
Number of inlet drains by which sewage of kadaura meets into Sadar Talab kadaura ,Jalaun at present	Two Drains	Four big drains 1 .Ramghat drain, 2.Chtela Marg drain near Balwant Singh house 3.main market drain 4. purana Bajar drain including the sewage of illegal occupant 's shops and houses.
photographs with executive officer Nagar Panchayat kadaura Jalaun	Enclosed	Not Enclosed by UPPCB as executive officer of Nagar Panchayat ,Kadaura was not present at the site of inspection I .e. at Sadar pond on December 21,2020.
Imposed environmental compensation money deposited or not if not then reason statement of executive officer nagar panchayat kadaura	Environmental compensation money not deposited matter is related to UP government for funding.	No deliberate efforts were made by UPPCB to recove r the environmental compensation from the Executive Officer of Nagar Panchayat ,Kadaura & District Magistrate of Jalaun . "The matter is not related to UP government for funding ".In letter ref no 99/OA-41/20 vide dated June 18, 2020 (True copy of same is annexed hereto and marked as Annexure 6). UPPCB has written As per Polluter Pays principle the Environmental compensation

		<p>must be recovered by the Officers & organisation responsible for environmental damage . but now to give safe escape to Executive Officer of Nagar Panchayat Kadaura & District M agistrate of Jalaun , UPPCB has made this government fund issue and kept recovery pending for indefinite time . This shows UPPCB officers are very lenient to polluter and negligent towards environment.</p>
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. In page no 5 ,point no 4.0 of above mentioned U PPCB report (vide dated November 27,2020) , where UPPCB has written the Action Plan of Sadar Talab , is like castle on sand because in "status of implementation" most of the activity of action plan has been completed but in reality at ground no implementation of action plan has started yet. This shows UPPCB is not transparent and corrupt officers of UPPCB has forgotten their fundamental duty to save environment sold the environment. Petitioner has made comment with natural proof to each point of table o f action plan mentioned by UPPCB in point no 4 of page 5 of the report.

S.No	Activity	Strategy	Status of implementation	Petitioner Comments
1	identification and removal of encroachment around the	In Compliance of honorable NGT order and direction of DM	Nagar panchayat kadaura has filed case under ppd act against the permanent	Not even a single temporary and constructed

	<p>pond.</p>	<p>Jalaun , a committee constituted by SDM has identified 18 permanent encroachments which should be removed. Notices have also been issued to 41 temporary encroachments for removing the same. If encroachments are not removed then legal action will be taken.</p>	<p>encroachers. 04 encroaches have filed case in court of Judicial district Kalpi nagar panchayat kadaura is effectively contesting these cases through t heir counsels. All the 41 temporary encroachment have been removed.</p>	<p>encroachment has been removed. In the report filed by UPPCB ON NOVEMBER 27, 2020 , Page no 4 , Point no 1.1, UPPCB itself accepted encroachment all around the pond and sewage going into the pond . Page no 4 , Point no 1.1 inter alia "at present lot of encroachment has taken place all around the pond and sewer outlets of nearby residents are connected to this pond" . Nagar Panchayat itself illegally allotted the land of sadar pond on rent and issued rent receipt to the tenants . post Honorable tribunal order nagar panchayat and issued notice s to the tenants, and provoked the ,encrochers to go to civil court of Judicial Magistrate , Kalpi on the basis of rent receipt to avoid removal of encroachment. Under section 29 of NGT ACT</p>
--	--------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<p>no other court can pursue the matter already running in honorable tribunal . Nagar Panchayat & UPPCB knows this but just to put the removal of encroachment of Sadar Pond on hold and pending UPPCB & Executive Officer of Nagar Panchayat is providing bad excuses before the honorable tribunal .(Rent Receipt and encroachment notice both issued by Nagar Panchayat to t he illegal occupants (True copy of same is annexed hereto and marked as Annexure 7). Rest encroachment was not removed under influence of Jameer Alam president of Nagar Panchayat,Kadaura.</p> <p>Government Certified true copy of map of Sadar Pond (True copy</p>
--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>of same is annexed hereto and marked as Annexure 2) clearly shows there is a road (path) around the Sadar Talab but photographs and Google Image of pond as on date January 7, 2021 (the same is annexed hereto and marked as Annexure 2) clearly shows build ings and shops inside the Sadar pond. CCTV footage and photographs of V .K Dubey (AE E), UPPCB standing in front of temporary encroachment on Sadar Talab (the same is annexed hereto and marked as Annexure 3) during inspection on December 21,2020. This proofs encroachment is not removed and UPPCB has made incorrect,false and misleading report before the ho norable</p>
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				tribunal.
2	Removal of hyacinth and plastic.	It was planned remove hyacinth and plastic with the support of district Administration and cooperation of local residents.	Special drive was started by nagar panchayat kadaura, NGO local residents from 27.09.2020 dated To 20.10.2020 for removal and effective disposal of Hyacinth and plastic. this resulted in complete removal of hyacinth and plastic.	At present dated January 5, 2021 The Sadar pond is full of hyacinth, jalkumbhi ,algai and garbage. (Latest Photographs of sadar pond along with newspaper is is annexed hereto and marked as Annexure 2). Completely F also and Misleading statement made by UPPCB and Nagar Panchayat
3	Identification and tapping of drains to curtail pollution sources at inlet.	Identification of storm water drain and domestic sewer drain will be tapped/diverted. Only storm water drain will be allowed to enter the pond.	Two inlet points were identified towards marketside in east direction and 03 inlet points were identified in the north direction towards residential area. it has been decided all these inlet points will be diverted through constructing	Since your order vide dated February 17 , 2020 , it's been almost one year but Nagar Panchayat , Kadaura and District Administration of Ja laun took one year to only identify the drains and sewage outlets falling in to the Sadar Talab . Only GOD knows when these drains and

			<p>peripheral drain all around the pond in time bound manner with financial assistance from state government.</p>	<p>sewage inlets will be tapped . Here UPPCB and Nagar Panchayat itself admitted that drains and sewage outlets of town are going directly into the Sadar Talab , heavy penalty must be imposed by tribunal to the Dr Mannan Akhtar District Magistrate of Jalaun and Executive Officers of Nagar Panchayat to dishonor the order of honorable tribunal. Chief Secretary of government of UP must be directed to follow the order of honorable tribunal as District Magistrate of Jalaun , Executive Officer of Nagar Panchayat, Kadaura along with UPPCB officers have become rigid and disobedient to the Tribunal Order and</p>
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				Directions.
4	Removal of Polluted water of Pond.	Removal of polluted water from the pond and resulting of bottom sludge,	Polluted water was pumped out to Ramlila Ground through three constructed drains and some water was used by farmers for irrigation and thus most of the polluted water has been removed.	Latest photo graph of Sadar Talab taken on January 5, 2021 shows the pond is full from polluted and poisonous water and garbage. In Previous point (point no 3) mentioned above UPPCB and Nagar Panchayat itself stated "Two inlet points were identified towards market side in east direction and 03 inlet points were identified in the north direction towards residential area." Since all the drainge of town carrying waste water and sewage of town is going into the pond so it is proved that pond is full from polluted and poisonous water.
5	Rejuvenation/b eautification of pond.	1. Refilling of fresh water in the pond after removal of polluted water and	1. Refilling of fresh water will be started as soon as polluted water	It's been almost 1 year since the first order of honorable tribunal vide dated February 17, 2020 but Nagar Panchayat

		<p>bottom sludge.</p> <p>2. After refilling continuous treatment of pond water with enzyme and aeration based treatment to maintain it's water quality.</p> <p>3. Construction of pucca embankment all around the pond .</p> <p>4. Development of old bathing ghats I.e. Ramghat and Shyamghat and it's beautification.</p>	<p>and bottom sludge are completely removed from pond.</p> <p>2. Continuous treatment of pond water after refilling will be done as per treatment plan costing around Rs 8.50 Lac.</p> <p>3. Wired fencing all around the sadar pond will be done in 1st year.</p> <p>4.Domestic sewer drain will be tapped and treatment will be done through oxidation pond method.</p>	<p>Kadaura and District Administration of Jalaun was unable to take out the polluted water of Sadar pond reason being inlets carrying waste water and sewage of town has not been tapped yet as admitted by UPPCB in point no 3 of action plan mentioned above . At point no 1.1 of latest UPPCB report dated November 27, 2020 inter alia "at present lot of encroachment has taken place all around the pond and sewer outlets of nearby residents are connected to this pond" so it is practically impossible to restore the pond till all the encroachment around the pond is not removed honestly and inlets are tapped . Removing encroachment and tapping does not need any government fund but till UPPCB is</p>
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>5. Construction of Ramghat and Shya ghat will be done so that pond could be used by all.</p> <p>6. Green belt will be developed all around the pond through dense environment friendly trees.</p>	<p>nodal agency and corrupt and dishonest District Magistrate of Jalaun Dr Mannan Akhtar and Sunil Kumar Singh Executive Officer of Nagar Panchayat are not punished and penalized by the honorable tribunal under section 26 and 28 of NGT act and penalty on daily for dishonoring the orders of tribunal and putting false status report before the tribunal .</p>
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. In the first page of first order of honorable tribunal vide dated February 23, 2020 in this case, inter alia *"Prayer in this application is for restoration of water body called main pond (sadar Bazar) of Kadaura Town, provision for access to drinking water and stopping continuous burning of solid plastic waste , garbage cans , electronics waste , glass inside the residential area of town Kadaura that emits poisonous gases causing severe air pollution . "* In the latest report filed by UPPCB on November 27, 2020 , UPPCB has not mentioned about steps taken on *"stopping continuous burning of solid plastic waste, garbage cans, electronics waste, glass inside the residential area of town Kadaura that emits poisonous gases causing severe air pollution"* in the report. This issue was intentionally not discussed in the

report , because *there is continuous burning of solid plastic , garbage cans, electronics waste, glass inside the residential area of town Kadaura by Nagar Panchayat which emits poisonous gases harmful for local residents of town* . (True latest Photographs of Burning of Solid waste and Garbage is annexed hereto and marked as Annexure 5). Nagar Panchayat , Kadaura is dumping Solid waste consisting plastic , electronic & glass along with Medical wastage in open on the Hamirpur - Orai State highway.

5. 17 years Ago, On January 17, 2004 , UPPCB issued a letter no F 25631/C-2/MSW/SA 122V-3/ 04 (True copy of letter is annexed hereto and marked as Annexure 6) to Executive officer of Nagar Panchayat , Kadaura with subject "*Notice for proper compliance of Municipal Solid Wastes (Management and Handling) Rules, 2000 made under Environment (Protection) Act, 1986.*" Post 16 years , on August 13, 2019 UPPCB issued a notice vide ref no 499/MSW-KADAURA/19 (True copy of letter is annexed hereto and marked as Annexure 6) in hindi , stating "*that Nagar Panchayat , Kadaura is violating Solid Wastes (Management and Handling) Rules, 2016 and have not received authority letter under the same act from UPPCB and Nagar Panchayat has not received consent (NOC) letter under section 25/26 of The Water (Prevention and Control of Pollution) Act 1974 and no consent letter (NOC) under section 21 of The Air (Prevention and Control of Pollution) Act 1981 from UPPCB.* This shows Nagar Panchayat , Kadaura and District administration of Jalaun is violating Environmental Norms and Acts for last 17 years , fresh environmental compensation must be calculated by any impartial authority/Expert Committee independent of state control and responsible officers must be punished and penalized by the honorable tribunal.

6. In the first report filed by UPPCB before honorable tribunal on June 18, 2020 While calculating Compensation for Environmental damage done by Nagar Panchayat, Kadaura , UPPCB ,in page no 3 , point no 5 it is mentioned " U.P. Pollution Control Board vide letter no 99/OA-41/20 dated 18.06.2020 has issued show cause notice for imposition of environmental compensation of Rs . 1.82 Crores as Kadaura Nagar

Panchayat has not installed sewage treatment plant for the treatment of generated sewage" . **Environmental Compensation for Burning and dumping of Solid Waste , plastics, electronic garbage** in open inside the residential area of town , was not calculated and imposed by UPPCB yet .

7. **Clean Water and Fresh Air is essential** not only for human being but for all the creatures and their ecosystems on the earth. **Both has been polluted by Nagar Panchayat , Kadaura under the nose of District administration** . Environmental Compensation for causing Air Pollution and violation of *The Water (Prevention and Control of Pollution) Act 1974* by **Burning and dumping of Solid Waste , plastics, electronic garbage** in open inside the residential area of town (True photographs of the same is annexed and marked as Annexure 5) by nagar panchayat must be calculated by any independent , impartial institution/authority free from state control like IIT ,Kanpur (only 80km away from town).

8. As mentioned in page no 26 of original petition *Filtering ,Swabbing,Gining and Cutting of Cotton by machines operated by old diesel engines is running in open in Ramlila Maidan , residential area of town kadaura* , with consent of Nagar Panchayat, Kadaura without any licence & environmental NOC (True photographs of the same along with newspaper of January 5, 2021 is annexed and marked as Annexure 4). Ramlila Maidan is a central residential area of town and Government Hospital (CHC), Government Inter college,Police Station, Main Bazar is less than 100m away from it. **Rashes of cotton and harmful smoke and noise from Diesel engines** may cause severe respiratory , and hearing problem to the residents including patients and students. **On November 21 ,2020** when V.K. Dubey (Assistant Env. Engineer, UPPCB) visited the town petitioner himself approached UPPCB team and shown the same . (True photographs of V.K Dubey (AEE, UPPCB) is annexed hereto and marked as Annexure 3). But UPPCB is under the influence of District Magistrate of Jalaun , intentionally ignored this issue and has not mentioned anywhere in report filed on **November 27,2020**. Encouraged by negligency and inactiveness of UPPCB, Nagar Panchayat has started **dumping brick's and construction stones on Ramlila**

Maidan and allotted the egg shops which throws residual egg shells, Fry eggs in open creating bad smell and dirt causing Air pollution by Smog of Stones and smoke of frying eggs .(True photographs is annexed hereto and marked as Annexure 4). This is again violation of Air (Prevention and Control of Pollution) Act 1981.

In honorable tribunal order , vide dated August 1,2019 in OA no 519 of 2016 Haardeep Singh & Ors ,At page no 24 , point no 3 , It is mentioned *"that large number of immature deaths are caused by air pollution and standards were set for disel and kerosene engine tod"*. The entire order of OA no 519 of 2016 Haardeep Singh & Ors must be considered and followed by Nagar Panchayat , Kadaura and District Administration of Jalaun for the safety of health of residents. but no action has been taken by nagar panchayat Kadaura and UPPCB on this yet even after 11 months of petition filed to NGT.

9. In the latest report filed by UPPCB , on November 27, 2020 , UPPCB doesn't file any status report on the important issue mentioned in the original petition' In original petition , it has been mentioned that there are four more waterbodies of town which are in bad condition including the public pond near kabristan (gata no 311)which has been encroached by Mohd Jameer Alam President, nagar panchayat, kadaura and taken inside the boundary of muslim cemetery (kabristan)". In UP government online complaint system ,On IGRS no 40016519017615 lekhpal has admitted that Nagar Panchayat has constructed boundary around the muslim cemetery and taken the pond inside it (True copy of report is annexed hereto and marked as Annexure 8) . there are many water bodies of the town ponds, lakes and wells which are filled with soil by Nagar Panchayat Kadaura and Commercial shops has been built over it. This had effected the water level of town badly as water bodies like ponds play very essential role in ground water recharge . As per report of ground water recharge Ground Water Department of UP government water level of

town Kadaura has went down from 10.14 (2010) to 5.68 (2019).(True copy of report of Ground water department of UP Government is annexed herero and marked as Annexure 8).

PRAYER

In light of the facts stated hereinabove it is most respectfully prayed that this Hon'ble Tribunal may kindly be pleased to:

a) Impose heavy penalty and punishment to the responsible officer's Dr Mannan Akhtar (District Magistrate ,Jalaun), Jayendra Kumar (Sub Divisional Magistrate, Kalpi) and Sunil Kumar Singh, Executive officer of nagar panchayat Kadaura for dishonoring and non complance of the honorable tribunal order dated, february 17, 2020 and June 23, 2020 under section 26 and 28 of NGT ACT and/or,

b)Constitute an expert Committee under supervision of Retire Justice of HighCourt/ Supreme Court , members free from state control and Actual and Fair measurements of area of Sadar Pond (gata no 850), Pond near kabristan Gata no 311 need to be done with help of Civil Department of IIT , Kanpur (only 80 km away from town) and/or,

c) Punish and penalize responsible officers of UPPCB for providing the false and misleading report before the honorable tribunal , UPPCB should be removed as nodal agency and Expert Committee be appointed as Nodal Agency and/or,

d) Direct Expert Committee to calculate and recover environmental compensation and impose penalty and ban on Nagar Panchayat , Kadaura for dumping and burning of garbage, violation of Solid Waste Management , Rules ,2016, by nagar panchayat in open area and/or,

e) **Direct chief Secretary of UP Government to recover the environmental compensation of 1.82 Crore** as per your order vide dated June23, 2020 from responsible officers within 30 days and pass order **to ban immediately on Cotton Mills operated operated by old diesel** engines running in open in Ramlila Maidan

f) pass order to **quash all cases running in Civil Court of Judicial Magistrate , Kalpi pertaining to OA no 41 of 2020** including case no 147/2020 deepak purvar vs State of UP and case no . 14/202 Rasheed Ahmad vs State of UP **as per section 29 of NGT Act and/or,**

g) Pass any other / further order as this Hon'ble Court may deem fit and proper in the interest of justice.

युक्तेश्वर कुमार

APPLICANT

Kalpi , Jalaun

Dated : January 7, 2021



BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH NEW DELHI

IA NO. OF 2020

IN

ORIGINAL APPLICATION NO. 41 OF 2020

IN THE MATTER OF:

PUSHPENDRA KUMAR

.....APPLICANT

VERSUS

NAGARPANCHAYAT, KADAURA &

ORS

..RESPONDENT

AFFIDAVIT

1. Pushpendra Kumar S/o Sh Rajendra Dwivedi, ages-33, R/o - Ram bhavan, Ramlila Maidan, Kadaura, District- Jalaun, UP 285203, presently at Kalpi the applicant above named do hereby solemnly affirm and state as under :-

1. That I am the applicant in in the above mentioned matter, as such, am conversant with the facts and circumstances of the case and competent to swear this affidavit.

2. That I have gone through the contents of the accompanying application and say that the Same are true and correct and has been drafted under my instructions. The contents thereof may kindly be read as a part hereof and are not being repeated herein for the sake of brevity.

DEPONENT

[Handwritten signature]

VERIFICATION

Verified at Kalpi on this 7th day of January 2021 that the contents of para 1 and 2 of my above affidavit are true and correct to my knowledge, no part of it is false and nothing material has been concealed there from.

DEPONENT

[Handwritten signature]

Identified Smt. n. Pushpendra Kumar
S/o Shri ... Rajendra Dwivedi
Tehseel ... Distt ...
by Sri ... Kalpi ... to whom
the Contents of this affidavit have been
read out & explained and who is
identified by Sri ...

कार्यालय अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत कदौरा-जालौन

पत्रांक:- 138/न0प0कदौरा/नोटिस/2020-21

दिनांक 07 जनवरी, 2021

नोटिस

श्री कल्लू पुत्र रशींद
नि0मु0 धोबीपुरा कदौरा।

वजरिये नोटिस आपको सूचित किया जाता है कि मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नई दिल्ली द्वारा विचाराधीन ओ0ए0संख्या 41/2020 (पुष्पेन्द्र कुमार बनाम नगर पंचायत कदौरा व अन्य) में दिनांक 17 फरवरी 2020 को पारित ओदश के अनुपालन, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा "हिंचलाल तिवारी 2001" के मामले में दिये गये निर्णय/सिद्धान्तों तथा नगर पालिका अधिनियम 2016 के सुसंगत धाराओं के क्रम में उपजिलाधिकारी महोदय कालपी द्वारा गठित संयुक्त टीम की आख्या के आधार पर आपके द्वारा गाटा सं0 850/586 सदर तालाब पर स्थायी/अस्थायी रूप से 10×10 फिट पर ढाला रखकर अतिक्रमण कर उसके स्वरूप में परिवर्तन किया गया है। इस बावत आपको पूर्व में भी 02 नोटिस जारी किये जा चुके हैं।

अतः ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/उपजिलाधिकारी महोदय कालपी द्वारा अधोहस्ताक्षरी को कड़ाई से दिये गये निर्देश के क्रम में आपको अंतिम बार सूचित किया जाता है कि आप नोटिस प्राप्ति के 03 दिवस के अन्दर अपना स्थायी/अस्थायी अतिक्रमण स्वयं हटा लें, अन्यथा की स्थिति में सुसंगत धाराओं में वर्णित व्यवस्थानुसार अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जायेगी तथा आपका माल जब्त करते हुए उक्त कार्य में आने वाले व्यय को राजस्व की भांति आपसे वसूला जायेगा जिसके लिये आप व्यक्तिगत रूप से सम्पूर्ण उत्तरदायी होंगे।

(सुनील कुमार सिंह)
अधिशासी अधिकारी
अधिशासी अधिकारी,
जालौन (3090)

नगर पंचायत कदौरा-जालौन।

- प्रतिलिपि:-1. उपजिलाधिकारी महोदय कालपी-जालौन को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अध्यक्ष महोदय नगर पंचायत कदौरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(सुनील कुमार सिंह)
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत कदौरा-जालौन।

कार्यालय अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत कदौरा-जालौन

पत्रांक:- 1151/न0पं0कदौरा/नोटिस/2020-21

दिनांक जनवरी, 2021

नोटिस

श्री दीपक पुत्र राजेन्द्र
नि0मु0 बाजार कदौरा।

वजरिये नोटिस आपको सूचित किया जाता है कि मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नई दिल्ली द्वारा विचाराधीन ओ0ए0संख्या 41/2020 (पुष्पेन्द्र कुमार बनाम नगर पंचायत कदौरा व अन्य) में दिनांक 17 फरवरी 2020 को पारित ओदश के अनुपालन, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा "हिंचलाल तिवारी 2001" के मामले में दिये गये निर्णय/सिद्धान्तों तथा नगर पालिका अधिनियम 2016 के सुसंगत धाराओं के क्रम में उपजिलाधिकारी महोदय कालपी द्वारा गठित संयुक्त टीम की आख्या के आधार पर आपके द्वारा माया सं 533/586 सदर तालाब पर स्थायी/अस्थायी रूप से 10×12 फिट पर किराना का ढाला रखकर अतिक्रमण कर रहे हैं। उक्त स्वरूप में परिवर्तन किया गया है। इस बावत आपको पूर्व में भी 02 नोटिस जारी किये जा चुके हैं।

अतः ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/उपजिलाधिकारी महोदय कालपी द्वारा अधोहस्ताक्षरी को कड़ाई से दिये गये निर्देश के क्रम में आपको अंतिम बार सूचित किया जाता है कि आप नोटिस प्राप्ति के 03 दिवस के अन्दर अपना स्थायी/अस्थायी अतिक्रमण स्वयं हटा लें, अन्यथा कीर्तित सुसंगत धाराओं में वर्णित व्यवस्थानुसार अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जायेगी तथा आपका माल जब्त करके उक्त कार्य में आने वाले व्यय को राजस्व की भांति आपसे वूसला जायेगा, जिसके लिये आप व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

(सुनील कुमार सिंह)
अधिशासी अधिकारी
अधिशासी अधिकारी
जालौन (2010)

नगर पंचायत कदौरा-जालौन।

- प्रतिलिपि:- 1. उपजिलाधिकारी महोदय कालपी-जालौन को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अध्यक्ष महोदय नगर पंचायत कदौरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(सुनील कुमार सिंह)
अधिशासी अधिकारी
अधिशासी अधिकारी
जालौन (2010)

नगर पंचायत कदौरा-जालौन।

कार्यालय अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत कदौरा-जालौन

पत्रांक:-1144/न0प0कदौरा/नोटिस/2020-21

दिनांक 07 जनवरी, 2021

नोटिस

श्रीमती विमलेश पत्नी सुरेन्द्र
नि0मु0 फर्राशखाना कदौरा।

वजरिये नोटिस आपको सूचित किया जाता है कि मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नई दिल्ली द्वारा विचाराधीन ओ0ए0संख्या 41/2020 (पुष्पेन्द्र कुमार बनाम नगर पंचायत कदौरा व अन्य) में दिनांक 17 फरवरी 2020 को पारित ओदश के अनुपालन, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा "हिंचलाल तिवारी 2001" के मामले में दिये गये निर्णय/सिद्धान्तों तथा नगर पालिका अधिनियम 2016 के सुसंगत धाराओं के क्रम में उपजिलाधिकारी महोदय कालपी द्वारा गठित संयुक्त टीम की आख्या के आधार पर आपके द्वारा गाटा सं0 850/586 सदर तालाब पर स्थायी/अस्थायी रूप से 10×10 फिट पर पेटी रखकर अतिक्रमण किया गया है। इस बावत आपको पूर्व में भी 02 नोटिस जारी किये जा चुके हैं।

अतः ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/उपजिलाधिकारी महोदय कालपी द्वारा अधोहस्ताक्षरी को कड़ाई से दिये गये निर्देश के क्रम में आपको अंतिम बार सूचित किया जाता है कि आप नोटिस प्राप्त के 03 दिवस के अन्दर अपना स्थायी/अस्थायी अतिक्रमण स्वयं हटा लें, अन्यथा की स्थिति में सुसंगत धाराओं में वर्णित व्यवस्थानुसार अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जायेगी तथा आपका माल जब्त करते हुऐ उक्त कार्य में आने वाले व्यय को राजस्व की भांति आपसे वूसला जायेगा, जिसके लिये आप व्यक्तिगत रूप से सम्पूर्ण उत्तरदायी होंगे।

(सुनील कुमार सिंह)
अधिशासी अधिकारी
अधिशासी अधिकारी
जालौन (3010)

नगर पंचायत कदौरा-जालौन।

प्रतिलिपि:-1. उपजिलाधिकारी महोदय कालपी-जालौन को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2. अध्यक्ष महोदय नगर पंचायत कदौरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(सुनील कुमार सिंह)

अधिशासी अधिकारी,

नगर पंचायत कदौरा-जालौन।

कार्यालय अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत कदौरा-जालौन

पत्रांक:-1142/न0पं0कदौरा/नोटिस/2020-21

दिनांक 07 जनवरी, 2021

नोटिस

श्री उमाशंकर पुत्र उजागर
नि0ग्रा0 बड़ागांव-कदौरा।

वजरिये नोटिस आपको सूचित किया जाता है कि मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नई दिल्ली द्वारा विचाराधीन ओ0ए0संख्या 41/2020 (पुष्पेन्द्र कुमार बनाम नगर पंचायत कदौरा व अन्य) में दिनांक 17 फरवरी 2020 को पारित ओदश के अनुपालन, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा "हिंचलाल तिवारी 2001" के मामले में दिये गये निर्णय/सिद्धान्तों तथा नगर पालिका अधिनियम 2016 के सुसंगत धाराओं के क्रम में उपजिलाधिकारी महोदय कालपी द्वारा गठित संयुक्त टीम की आख्या के आधार पर आपके द्वारा गाटा सं0 850/586 सदर तालाब पर स्थायी/अस्थायी रूप से 10×10 फिट पर ढाला रखकर अतिक्रमण किया गया है। इस बावत आपको पूर्व में भी 02 नोटिस जारी किये जा चुके हैं।

अतः ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/उपजिलाधिकारी महोदय कालपी द्वारा अधोहस्ताक्षरी को कड़ाई से दिये गये निर्देश के क्रम में आपको अंतिम बार सूचित किया जाता है कि आप नोटिस प्राप्ति के 03 दिवस के अन्दर अपना स्थायी/अस्थायी अतिक्रमण स्वयं हटा लें, अन्यथा की स्थिति में सुसंगत धाराओं में वर्णित व्यवस्थानुसार अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जायेगी तथा आपका माल जब्त करते हुये उक्त कार्य में आने वाले व्यय को राजस्व की भांति आपसे वूसला जायेगा, जिसके लिये आप व्यक्तिगत रूप से सम्पूर्ण उत्तरदायी होंगे।

(सुनील कुमार सिंह)
अधिशासी अधिकारी
अधिशासी अधिकारी
जालौन (3020)

नगर पंचायत कदौरा-जालौन।

प्रतिलिपि:-1. उपजिलाधिकारी महोदय कालपी-जालौन को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2. अध्यक्ष महोदय नगर पंचायत कदौरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(सुनील कुमार सिंह)

अधिशासी अधिकारी

नगर पंचायत कदौरा-जालौन।

Verification Report of Sadar Talab Kadora District Jalaun in matter of Hon'ble NGT O.A No.-
41/2020 (Puspendra Kumar Vs Executive officer), Nagar Panchayat kadora, Jalaun.

25

Date of Inspection	21.11.2020
Inspecting officer of UPPCB, Jhansi.	V.K. Dubey (AEE)
Present officer of Nagar Panchayat Kadora, Jalaun at the time of Inspection.	Sunil Kumar Singh (Executive Officer)
Population of Kadora Nagar Panchayat, Kadora, Jalaun.	14903 (Census 2011)
Establishment Year of Nagar Panchayat, Kadora, Jalaun.	1951
Total Area of Sadar Talab Kadora As per Revenue Record.	2.914 Hectare
Have Encroachment is present at the land of Sadar Talab or demolished by Nagar Panchayat, Kadora, Jalaun.	1. 41 Nos. Temporary Encroachment Have been removed. 2. 18 Nos. Constructed Encroachment is Under Process.
GPS of Sadar Talab Kadora, Jalaun.	Latitude :- 25.984314 Longitude :-79.834957 Near the House of Pushendra Dwivedi
Total number of drains which falls in Sadar Talab, Kadora, Jalaun in previous.	Two Main Drains are Joining Pond(1-Ramghat Drain, 2-Chatela Marg Drain near Balwant Singh House
Number of drains which has Taped at present.	Main market Purana Bajar drain.
Number of untapped drains by which sewage of Kadora meets into Sadar Talab, Kadora, Jalaun at present.	Two Drains
Photo Graphs with Executive officer Nagar Panchayat, Kadora, Jalaun.	Enclosed
Cleaning Status of Sadar Pond Kadora, Jalaun.	Last Cleaning of pond done on dated 20.10.2020
Photo graphs of Sadar Talab Pond Kadora, Jalaun.	Enclosed
Water quality monitoring date.	21.11.2020
Quality of Poned water of Sadar Talab, Kadora, Jalaun on date 21.11.2020	To be analyzed by UPPCB Lab, Jhansi.
Remark regarding action plan for restoration, up gradation, beautification of Sadar pond Kadora, Jalaun.	Under process
Imposed environmental compensation money deposited or not. If not then reason statement of Executive Officer Nagar Panchyat, Kadora.	Environmental Compensation money not deposited. Matter is related to UP Government for funding.

Executive officer
Nagar Panchayat, Kadora
Distt. Jalaun

Asstt. Env. Engineer
UPPCB, Jhansi.

पत्र सं. १०१/१९७७ दि. १०/०५/७७. ११७७/७७
सदर तालाब - १२६७७/७७ (अनुसूचित क्षेत्र)
उत्तर मंडल - तालाब क्षेत्र की नक्शा

Sadar Talab
Gata No. 850

Area 7.09 Acre

28



एसबीएम टॉयलेट



Police Station
पुलिस स्टेशन



RRcomputer & Janseva
Kendra Kadaura
आर॰आर॰कंप्यूटर
& जनसेवा केंद्र

Parts
बाला जी
टो पार्ट्स
Shopping mall



Sadar Pond,
Kadoura



Home



SHEKHAR SHOPPING
COMPLEX
शेखर कपड़ा स्टोर
Clothing store



Ram Leela Ground
राम लीला ग्राउंड



CCTV Footage of Sadar Pond as on date January 7, 2021. The Pond is covered by Jalkumbhi, hyacinth, & dirty water.




Free Photography of Sadar Pond along with newspaper of date January 5, 2021.



Temporary & Permanent Encroachment around Sadar Pond as on January 8, 2021.



31



Black & Poisonous water in Sadar Pond as on January 8, 2021.



Encroachment around the Sadar Pond
& dirty water & hyacinth on Pond As on
date January 6, 2021.




CCTV Footage of V.K. Dubey (AEE, UPPCB) & his team standing in front of Sadar pond full from vegetation & tyacanth. as on November 21, 2020.

33



True Photograph of V.K. Dubey (AEE, UPPCB) (34)
standing inside illegal Cotton Mills running
in Ramlika maiden of Town.



date
November 21,
2020


V.K. Dubey (AEE, UPPCB) standing in front of Encroachment
& dump of garbage around Sadar Pond.



Photographs of cotton mills running in open
inside town along with newspaper of date
January 5, 2021.

ANNEXURE-4


35



Latitude: 25.984113
Longitude: 79.835145
Elevation: 136.88m
Accuracy: 4.6m
Time: 08-01-2021 17:00
Note: talab

Harmful smog caused by dumping
of stones at Ramlila Maidan, of town
by Nagar Panchayat, Kandaura. as on
date January 5, 2021.

36



Burning of solid waste & garbage
by Nagar Panchayat, Radaura in open
inside town. as on January 4, 2021.



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

38

No. 25631/C-2/M.S.W/एन-122/V-3/04

Dated 17.1.04

Registered

Reminder

To,

Chief Executive
Nagar Panchayat, Kadira
Jalaun



Sub: Notice for proper compliance of Municipal Solid Wastes (Management and Handling) Rules, 2000 made under Environment (Protection) Act, 1986.

Sir,

This has reference to our previous letters/notices and Press note dt.17-12-2003 in daily news papers regarding compliance of Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000.

Whereas, in exercise of the powers conferred by section 3,6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government made the rules to regulate the management and handling of the municipal solid wastes named as "Municipal Solid Wastes(Management and Handling) Rules, 2000".

Whereas under the provisions, the aforesaid rules shall apply to every municipal authority responsible for collection, segregation, storage, transportation, processing and disposal of municipal solid wastes.

Whereas Rule 4(1) of the Municipal Solid Wastes (Management and Handling) Rules, 2000 provides that every municipal authority shall, within the territorial area of the municipality, be responsible for the implementation of the provision of these rules, and for any infrastructure development for collection, storage, segregation, transportation, processing and disposal of municipal solid wastes.

cont.2

पिकप भवन, तृतीय तल, बी-ब्लॉक, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ - 226 090
दूरभाष: 272831] 2720828] 2720691] 2720681
फैक्स : 0522&2720764
ई-मेल : info@uppcb.com
वेब साइट : www.uppcb.com

Picup Bhawan, 3rd Floor, B - Block, Vibhuti-Khand
Gomti Nagar, Lucknow - 226010
Phone : 720831, 720828, 720691, 720681
Fax : 0522 - 720764
e-mail : info@uppcb.com
Web Site : www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं.
REF. No. -----

Dated -----

-2-

Whereas, Rules (2) of the aforesaid Rules provides that it is the duty of every municipal authority or an operator of a facility shall make an application in Form-I, for grant of authorization for setting up waste processing and disposal facility including landfills from the State Board or the Committee in order to comply with the implementation programme laid down in Schedule I.

Whereas Rules 4(3) provides that the municipal authority shall comply with these rules as per the implementation schedule laid down in Schedule I and under the Rule 4(4). The Municipal authority shall furnish its annual report in Form II,-

(a) to the Secretary-incharge of the Department of Urban Development of the concerned state or as the case may be of the Union Territory, in case of a metropolitan city, or

(b) to the District Magistrate or the Deputy Commissioner concerned in case of all other towns and cities.
with a copy to the State Board or the Committee on or before the 30th day of June every year.

Whereas Rule 7 of Municipal Solid Wastes (Management and Handling) Rules 2000 provides that any municipal solid wastes generated in a city or a town, shall be managed and handled by the municipal authority in accordance with the compliance criteria and the procedure laid down in Schedule I.

Whereas Rule 7(2) of the Rule provide that the waste processing and disposal facilities to be set up by the municipal authority on their own or through an operator of a facility shall meet the specifications and standards as specified in Schedule III and IV

cont.3-

पिकप भवन, तृतीय तल, बी-ब्लॉक, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ - २२६ ०१०
दूरभाष : 272831] 2720828] 2720691] 2720681
फैक्स : 0522&2720764
ई-मेल : info@uppcb.com
वेब साइट : www.uppcb.com

Picup Bhawan, 3rd Floor, B - Block, Vibhuti Khand
Gomti Nagar, Lucknow - 226010
Phone : 720831, 720828, 720691, 720681
Fax : 0522 - 720764
e - mail : info@uppcb.com
Web Site : www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

सं

No. -----

Dated -----

-3-

Whereas, in compliance of Municipal Solid Wastes (Management and Handling) Rule, 2000 you have neither obtained the authorization from the Board nor made an application to the Board in form I for setting up waste processing and disposal facility including landfills from the State Board in order to comply with the implementation programme laid down in schedule I.

Whereas you are also not furnishing the annual report in form II before 30th June every year in violation of the provisions of the aforesaid Rules.

Now therefore, in exercise of the powers under the Municipal Solid Wastes (Management and Handling) Rules 2000 and Environment (Protection) Act 1986, you are hereby required-

- (i) to submit an application on in Form-I, for grant of authorization from the Board.
- (ii) to implement the provisions of Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 and comply with the implementation programme laid down in Schedule I.
- (iii) to furnish the annual report in form II on or before 30th day of June every year so that the State Board shall prepare and submit to the Central Pollution Control Board an annual report by 15th of Sept. every year in Form IV.
- (iv) to handle and manage municipal solid wastes in accordance with the compliance criteria and the procedure laid down in Schedule II.

cont-4

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ - २२६ ०१०
फोन : 2720828] 2720691] 2720681
2720764
www.uppcb.com

Picup Bhawan, 3rd Floor, B - Block, Vibhuti Khand
Gomti Nagar, Lucknow - 226010
Phone : 720831, 720828, 720691, 720681
Fax : 0522 - 720764
e-mail : info@uppcb.com
Web Site : www.uppcb.com

41

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०
EF. No. -----

Dated -----

-4-

Therefore you are advised to follow the provisions and directions and send the reply immediately in default of which action shall be initiated as per law.

It is also pointed out that violation of the provisions of Municipal Solid Wastes (Management and Handling) Rules, 2000 is punishable under section 15 of the Environment (Protection) Act, 1986.

Your's faithfully,

(Dr. C. S. BHATT)
MEMBER SECRETARY

Copy for information & necessary action:

1- Secretary, Nagar Vikas, Lucknow, U.P.

2- District Magistrate, *Jalau*

3- Regional Officer, U.P. Pollution Control Board,

Kanpur, Lucknow, Aligarh, Allahabad, Gorakhpur, Meerut, Agra, Gorakhpur, Meerut, Ghaziabad, Moradabad, Bareilly, Varanasi, Jhansi, Noida, Mathura, Saharanpur, Raibareilly

[Signature]
MEMBER SECRETARY
9/11



क्षेत्रीय कार्यालय उ. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
Regional Office, U.P. Pollution Control Board

संदर्भ सं० ११/०१-५१/२०
Ref. No.

दिनांक 18/06/2020
Date.....20

सेवा में,

अधिकाधिकारी,
नगर पंचायत कदौरा,
जनपद-जालौन।

पंजीकृत

विषय:-मेसर्स नगर पंचायत कदौरा, जनपद-जालौन के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

मेसर्स नगर पंचायत कदौरा, जनपद-जालौन का संयुक्त निरीक्षण उपजिलाधिकारी, कालपी एवं अधिकाधिकारी, नगर पंचायत कदौरा के साथ दिनांक 27.02.2020 को किया गया। निरीक्षण आख्यानानुसार नगर पंचायत कदौरा, जनपद-जालौन द्वारा ठोस अपशिष्ट एवं प्लास्टिक वेस्ट को वैज्ञानिक तरीके से नियमानुसार निस्तारण हेतु ट्रेन्चिंग कम्पोस्ट परियोजना की स्थापना नहीं की गयी है। नगर पंचायत, कदौरा सीमा क्षेत्र से उत्पन्न ठोस अपशिष्ट को यत्र-तत्र भण्डारित किया जा रहा है। निरीक्षण दिनांक 27.02.2020 के दौरान पाया गया कि सदर तालाब जोकि नगरीय क्षेत्र में स्थित है, तथा नगरीय क्षेत्र का सीवेज मिश्रित घरेलू उत्प्रवाह तथा वर्षा जनित जल भण्डारण होता है। तालाब के वर्तमान कैचमेंट एरिया में भण्डारित सीवेज मिश्रित जल का नमूना एकत्र कर केन्द्रीय प्रयोगशाला में विश्लेषित कराया गया। विश्लेषण आख्यानानुसार प्रदूषणकारी प्रचालकों की मात्रा निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं है।

अधिकाधिकारी, नगर पंचायत, कदौरा, जालौन को पूर्व में बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एफ 25631/सी०-2/एमएसडब्लू दिनांक 17.01.2004 द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम 2000 के अनुपालन हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था। प्रश्नगत नगर पंचायत द्वारा ठोस अपशिष्ट नियमों का अनुपालन नहीं किये जाने के दृष्टिगत बोर्ड के पत्रांक 499 दिनांक 13.08.2019 एवं पत्रांक 661 दिनांक 02.12.2019 द्वारा निर्देशित किया गया है।

संयुक्त निरीक्षण दिनांक 27.02.2020 के दौरान एकत्रित किये गये सदर तालाब कदौरा, जालौन से एकत्रित जल नमूने में प्रदूषणकारी प्रचालकों के मान निर्धारित मानकों से अनुरूप नहीं होने तथा नगरीय क्षेत्र के घरेलू जल मल को बिना शुद्धिकरण किये ही सदर तालाब कदौरा पर भण्डारित किये जाने के दृष्टिगत क्षेत्रीय अधिकाधिकारी की आख्या दिनांक 20.03.2020 द्वारा संदर्भित नगर पंचायत कदौरा, जालौन पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मा० एन०जी०टी० में विचाराधीन ओ०ए० संख्या-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवंअन्य मे पारित आदेश दिनांक 03.08.2018 के अनुपालन में तैयार की गयी गाइडलाइन "Methodology for Assessing Environmental Compensation" के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

संयुक्त निरीक्षण दिनांक 27.02.2020 के समय पाये गये तथ्यों के दृष्टिगत उपरोक्त संस्था पर रू० 1.82882 करोड़ (एक करोड़ बयासी लाख आठ सौ बयासी मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित आंगणित की गयी है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त नगर पंचायत कदौरा, जनपद-जालौन के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974-यथसंशोधित की धारा-33ए के अन्तर्गत निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :-

1. यह कि क्यों न नगर पंचायत कदौरा, जनपद-जालौन पर रू0 1.82882 करोड़ (एक करोड़ बयासी लाख आठ सौ बयासी मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाए।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करें, अन्यथा की स्थिति में उपरोक्तानुसार नगर पंचायत कदौरा, जनपद-जालौन के विरुद्ध रूपये 1.82882 करोड़ (एक करोड़ आठ लाख आठ सौ बयासी रू0 मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्था एवं जिम्मेदार पदाधिकारी का होगा।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, जालौन स्थान-उरई, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय उ. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
Regional Office, U.P. Pollution Control Board

सं. सं०
Ref. No.499./MSW-कदौरा/19

दिनांक.....20
Date.....13.08.2019

सेवा में,

अधिकासी अधिकारी
नगर पंचायत, कदौरा
जनपद- जालौन।

पंजीकृत डाक द्वारा

यह कि नगर पंचायत, कदौरा, जनपद-जालौन द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट के नियमानुसार शोधन एवं निपटान हेतु ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के प्राविधानों के अनुरूप व्यवस्थाएं स्थापित नहीं की गई हैं तथा नगरीय ठोस अपशिष्ट का निस्तारण विभिन्न कच्चे स्थलों पर ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के प्राविधानों का उल्लंघन करते हुए किया जा रहा है। आप द्वारा बोर्ड से ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्राधिकार प्राप्त नहीं किया गया है एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण), अधिनियम 1974 यथासंशोधित की धारा 25/26 के अन्तर्गत सहमति (जल) तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण), अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा-21 के अन्तर्गत सहमति (वायु) प्राप्त नहीं की गयी है, जो कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्राविधानों का उल्लंघन है। पूर्व में आपके स्थानीय निकाय से अपेक्षित कार्यवाही हेतु बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक-एच 21486/सी-7/एम.एस.डब्लू-246/18 दिनांक 08.06.2018 द्वारा निर्देशित किया गया था कि-

1. ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के नियम-22 तथा मा0 राष्ट्रीय अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0-199/2014 अलमित्रा एच. पटेल बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.12.2016 के अनुपालन में निर्धारित समयसीमा में जनित ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित निस्तारण सुनिश्चित की जाए।
2. नगरीय ठोस अपशिष्ट के नियमानुसार प्रबन्धन हेतु कार्यवाही की अद्यतन स्थिति एवं अनुपालन आख्या बोर्ड त्रैमासिक रूप से प्रेषित की जाए।

आप अवगत ही हैं, कि बोर्ड प्रेषित उपरोक्त निर्देशों की अनुपालन आख्या अभी तक अप्राप्त हैं, अतः आपसे अनुरोध है कि संलग्नक प्रारूप पत्र पर चाही गयी सूचना के सम्बन्ध में अपनी स्थिति अनिवार्य रूप से इस कार्यालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में "Polluter pays" Principal के आधार पर सक्षम प्राधिकारी को संस्तुति प्रेषित किया जाना वाध्यकारी होगा, जिस हेतु स्थानीय निकाय के सक्षम प्राधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।


संलग्नक-यथोपरि

भवदीय


(निबंधन शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि: मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

RU485937992IN IVR:8285488937992
RL BUNDELKHAND UNIVERSITY S.O 284128
Counter No:1, 27/08/2019, 14:39
To: A. ADHIKARI, NP
PIN: 285123, -Jalaun- S.O
From: LPPCB, JMS
Wt: 20gms
Amt: 22.00 (Cash)


क्षेत्रीय अधिकारी



ANNEXURE-7



Add Case

Registration Number	146/2020
Registration Date	01-10-2020
CNR Number	UPJL240017592020

Case Status

First Hearing Date	01-10-2020
Next Hearing Date	06-01-2021
Stage of Case	W.S.
Court No and Judge	1-Civil Judge J.D. Kalpi

QR Code

Petitioner and Advocate

1) Rashed ahmad and others
Advocate - Amar singh nishad

वादी/प्रतिवादी द्वारा पेश किये गए दस्तावेजों की सूची

(आदेश 13 नियम 1)

न्यायालय सि० जम भू० डि०
बाद संख्या

स्थान काकापी
सन् 2020 ई०

जिला मालवा

~~श्रीद अहमद मुन~~ वाकर अहमद नि० मु० डौबीपुरा कदौरा वादी

~~सरनर उ० प्र० झाड~~ प्रतिवादी

बाद पत्र को साथ
वादी प्रतिवादी की ओर पेश किये गए दस्तावेजों की सूची

इस सूची का प्रपत्र सुनवाई के समय ने आज सन् 20 दिवस को पेश किया।

1	2	3	4
क्रम संख्या	दस्तावेज तथा अभिवण और उमकी तारीख यदि कोई हो	यदि अभिलेख में सम्मिलित किया गया तो प्रश्न चिन्ह जो उस पर लाया गया	यदि नामजूरी हुआ तो पक्षकार के लिखाये जाने की तारीख और पक्ष कार का उसके अधिवक्ता हस्ताक्षर जिसको कागज लौटाये गए
यदि बाद के निश्चय के पश्चात कागज अभिलेख में रह जाये और अध्याय 3 विषय 2 के आधीन लिफाफे में बन्द किया गया तो लिफाफे में बन्द करने की तारीख			
1	उक्त लिखा डौबीपुरा नि० जम भू० डि० काकापी कदौरा 4.9.20	वाकर अहमद नि० मु० डौबीपुरा कदौरा (पक्ष)	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>न्यायालय का नाम बाद संख्या पक्षकारी के नाम 2018/193</p> </div>
2	उक्त लिखा श्रीद अहमद मुन नि० मु० डौबीपुरा कदौरा 2018/193	डिजायल रजि० (पक्ष)	
3	उक्त लिखा श्रीद अहमद मुन नि० मु० डौबीपुरा कदौरा 2018/193	डिजायल रजि० (पक्ष)	
4	उक्त लिखा श्रीद अहमद मुन नि० मु० डौबीपुरा कदौरा 2018/193	डिजायल रजि० (पक्ष)	
5	उक्त लिखा श्रीद अहमद मुन नि० मु० डौबीपुरा कदौरा 2018/193	डिजायल रजि० (पक्ष)	
6	उक्त लिखा श्रीद अहमद मुन नि० मु० डौबीपुरा कदौरा 2018/193	डिजायल रजि० (पक्ष)	

सूची को पेश करने वाले पक्षकार या अधिवक्ता के हस्ताक्षर

लॉक नं०

3288

फार्म नं० 5

रसीद

बुक नं० 33 137

नगर पंचायत कदौश (जालौन)

नाम श्री श्री रसीद अहमद

पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री वाकिल कि कदौश

डिमाण्ड रजिस्टर नं० 60/23

रुपया शब्दो में चार सौ अठारह केवल मात्र

मुहल्ला/वार्ड नं०

डिमाण्ड बिल नं० ग्रामे डिमाण्ड वर्ष- 2018-19

अवधि 2018-19

Rs. 468-00

Dated 19.3.2019

लेखाकार

कर समहर्ता
कैशियर

अधिसासी अधिकारी
कर अधीक्षक

कार्यालय अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत कदौरा-जालौन

15/11

दिनांक 04 सितम्बर, 2020

732/न0पं0कदौरा/नोटिस/2020-21

नोटिसश्री कल्लू पुत्र रशीद
निम्न0 घोबीपुरा कदौरा।

वजरिये नोटिस आपको सूचित किया जाता है कि मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नई दिल्ली द्वारा विचाराधीन ओ0ए0संख्या 41/2020 (पुष्पेन्द्र कुमार बनाम नगर पंचायत कदौरा व अन्य) में दिनांक 17 फरवरी 2020 को पारित आदेश के अनुपालन, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा "हिंचलाल तिवारी 2001" के मामले में दिये गये निर्णय/सिद्धान्तों तथा नगर पालिका अधिनियम 2016 के सुसंगत धाराओं के क्रम में उपजिलाधिकारी महोदय कालपी द्वारा गठित संयुक्त टीम की आख्या के आधार पर आपके द्वारा गाटा सं0 850/586 सदर तालाब पर अस्थायी रूप से 10×10 फिट पर ढाला रखकर अतिक्रमण कर उसके स्वरूप में परिवर्तन किया गया है। इस बावत आपको पूर्व में नोटिस भी जारी किये गये हैं।

अतः आप नोटिस प्राप्ति के 05 दिवस के अन्दर अपना अस्थायी अतिक्रमण स्वयं हटा लें, अन्यथा की स्थिति में सुसंगत धाराओं में वर्णित व्यवस्थानुसार अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जायेगी जिस पर आने वाला व्यय भी आपसे वसूला जायेगा, जिसके लिये आप व्यक्तिगत रूप से सम्पूर्ण उत्तरदायी होंगे।

(सुनील कुमार सिंह)
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत कदौरा-जालौन।

नगर पंचायत कदौरा-जालौन।

प्रतिलिपि:- उपजिलाधिकारी महोदय, कालपी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(सुनील कुमार सिंह)

अधिशासी अधिकारी,


नगर पंचायत कदौरा-जालौन।

05/10/2023
रजिद अहमद अमे

18/11
49

रजिद अहमद अमे

श्रीमानजी, कार्यालय इलाहाबाद का पोस्टे ग्रुप दिनांक
30-9-23 को निम्न प्रकार -



30/9/23

रजिद अहमद अमे
O.S. No. 1010/2023-24
रजिद अहमद अमे

वापसी गण

दिनांक 30.9.2023

1. रजिद अहमद अमे वापसी अहमद
 2. मो. खडेर @ मल्ल 8/0 रजिद अहमद
 3. मो. दिवान 5/0 रजिद अहमद
- नि. पोलीस क्वीरा



Add Case 

Case Status

First Hearing Date	01-10-2020
Next Hearing Date	02-11-2020
Stage of Case	W.S.
Court No and Judge	1-Civil Judge J.D. Kalpi

QR Code

Petitioner and Advocate

1) Deepak kumar purwar
Advocate - Saiyyad iqbal adv.

Respondent and Advocate

वादी/प्रतिवादी द्वारा पेश किये गए दस्तावेजों की सूची
(आदेश 13 नियम 1)

न्यायालय काद संख्या ८५. ज. ५ स्थान दिल्ली सन 2020 ई ३० जिला

दो पक्ष दुभा प्रकाश बनाम सरकारी ६०७७ जमीन वादी प्रतिवादी

बाद पत्र को साथ वादी प्रतिवादी की ओर पेश किये गए दस्तावेजों की सूची इस सूची को प्रपत्र सुनवाई के समय ने आज सन 2020 दिवस को पेश किया।

1	2	3	4
कम संख्या	दस्तावेज तथा अभिलेख और उसकी तारीख यदि कोई हो	यदि अभिलेख में सम्मिलित किया गया तो प्रश्न चिन्ह जो उस पर लाया गया	यदि नामजूरी हुआ तो पक्षकार के लिखाये जाने की तारीख और पक्ष कार का उसके अधिवक्ता हस्ताक्षर जिसको कागज लौटाये गए
	यदि बाद के निश्चय के पश्चात कागज अभिलेख में रह जाये और अध्याय 3 विषय 2 के आधीन लिफाफे में बन्द किया गया तो लिफाफे में बन्द करने की तारीख		
2	- 2 साइट House Tax सूची जारी की गयी		
	नोटिस जारी किया गया और सन 4.9.20 को जारी किया गया		
	30.9.20 को जारी किया गया		
4	आवेदन जारी किया गया		

न्यायालय का नाम ८५५० ६०७५
बाद संख्या ५२०
पक्षकारी के नाम
दुभा प्रकाश

श्री. राजेश कुमार

सूची को पेश करने वाले पक्षकार या अधिवक्ता के हस्ताक्षर

दीपक कुमार प्रकाश

52

सर्वोच्च प्राथमिकता

कार्यालय अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत कदौरा-जालौन

पत्रांक - / न0प0कदौरा / नोटिस / 2020-21

दिनांक 14 सितम्बर, 2020

नोटिस

श्री दीपक पुत्र राजेन्द्र
नि0मु0 बाजार कदौरा।

वजरिये नोटिस आपको सूचित किया जाता है कि मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नई दिल्ली द्वारा विचारशील ओ0ए0संख्या 41/2020 (पुष्पेन्द्र कुमार बनाम नगर पंचायत कदौरा व अन्य) में दिनांक 17 फरवरी 2020 को पारित आदेश के अनुपालन, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा "हिंदलाल तिवारी 2001" के मामले में दिये गये निर्णय/सिद्धान्तों तथा नगर पालिका अधिनियम 2016 के सुसंगत धाराओं के कम में उपजिलाधिकारी महोदय कालपी द्वारा गठित संयुक्त टीम की आख्या के आधार पर आपके द्वारा गाटा सं0 850/586 सदर तालाब पर अस्थायी रूप से 10×12 फिट पर किराना का ढाला रखकर अतिक्रमण कर उसके स्वरूप में परिवर्तन किया गया है। इस बावत आपको पूर्व में नोटिस भी जारी किये गये हैं।

अतः आप नोटिस प्राप्ति के 05 दिवस के अन्दर अपना अस्थायी अतिक्रमण स्वयं हटा लें, अन्यथा की स्थिति में सुसंगत धाराओं में वर्णित व्यवस्थानुसार अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जायेगी जिस पर आने वाला व्यय भी आपसे वसूला जायेगा, जिसके लिये आप व्यक्तिगत रूप से सम्पूर्ण उत्तरदायी होंगे।


अधिशायी अधिकारी
नगर पंचायत कदौरा-जालौन
आधिशासी अधिकारी

नगर पंचायत कदौरा-जालौन।

प्रतिलिपि:- उपजिलाधिकारी महोदय, कालपी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(सुनील कुमार सिंह)

अधिशासी अधिकारी,

नगर पंचायत कदौरा-जालौन।

Ground Water Report of Town Kadavur, uploaded on Updatawin ANNEXOR

DISTRICT	BLOCK	Year-2010		Year-2011		Year-2012		Year-2013		Year-2014		Year-2015		Year-2016		Year-2017		Year-2018		Year-2019	
		Pre Mn	Post Mn																		
JALAIUN	JALAIUN	6.81	4.43	6.99	4.78	6.83	5.85	7.20	4.80	6.23	4.68	6.13	4.78	6.82	5.04	4.99	5.88	6.81	3.03	5.51	
JALAIUN	KADAIURA	10.14	6.48	9.53	7.58	9.57	0.09	8.12	4.94	7.27	5.00	7.10	7.04	8.50	6.43	9.50	9.88	10.94	4.68	5.68	
JALAIUN	KONCHI	4.53	2.91	4.85	2.35	4.02	2.86	4.44	2.79	3.69	2.40	4.08	3.57	5.73	3.79	6.08	5.99	7.67	7.01	3.02	
JALAIUN	KUTHAIYAND	12.84	8.74	11.48	10.25	11.36	10.23	13.40	9.42	9.78	7.71	10.71	10.00	11.37	8.39	8.92	9.43	6.70	11.50	5.10	
JALAIUN	MAHOGARH	4.94	2.92	4.71	4.13	5.45	4.97	5.44	3.25	4.76	3.14	4.71	3.51	5.63	3.95	1.74	1.96	6.79	5.47	6.62	
JALAIUN	MAHEWA	15.98	13.86	13.64	12.06	13.76	12.26	15.22	9.67	11.71	8.64	11.64	7.37	11.85	9.10	18.40	25.00	14.87	10.15	21.48	
JALAIUN	MAHIGAN	9.96	6.00	7.51	5.98	7.88	6.59	7.90	5.95	6.71	4.90	6.71	5.84	8.73	6.51	9.62	8.51	9.34	6.55	8.55	
JALAIUN	RAMPURA	12.95	10.33	11.85	10.81	11.09	10.48	11.06	7.75	10.52	8.34	10.46	10.24	11.32	8.55	11.23	11.25	11.40	12.90	12.26	
JALAIUN	RAJADALAIUR	11.72	10.75	12.43	11.45	12.42	11.70	12.34	9.72	8.35	8.78	9.72	8.43	10.45	11.64	12.58	11.11	13.90	12.13	15.10	
JALAIUN	BARASATHI	8.51	8.20	9.12	8.10	9.31	8.98	10.39	7.66	7.94	7.59	8.77	7.70	8.00	10.43	10.29	8.72	10.39	6.02	8.09	
JALAIUN	BUXA	11.98	12.20	13.55	12.52	13.02	11.66	11.80	10.16	9.74	9.27	9.85	9.20	10.02	12.06	11.38	8.89	12.67	9.20	14.47	
JALAIUN	DUKARAMPUR	11.44	9.79	11.33	9.95	11.31	10.19	12.28	8.98	8.74	8.30	9.86	9.58	9.62	11.63	10.27	10.35	11.73	10.48	12.48	
JALAIUN	DOBI	13.21	12.54	13.78	12.46	14.11	13.48	14.41	12.23	12.43	11.80	12.77	13.55	13.57	17.07	13.85	14.10	14.54	14.22	14.97	
JALAIUN	JALAIUR	11.97	11.81	12.14	10.65	12.11	10.85	11.83	9.07	10.70	9.43	11.24	8.86	9.18	11.75	9.60	8.36	9.71	9.26	9.01	
JALAIUN	KARANAKALAN	10.03	7.54	11.02	7.54	11.51	8.23	12.35	6.98	10.72	6.73	8.60	7.82	6.57	12.88	10.74	10.42	11.44	9.19	12.46	
JALAIUN	KERAKAT	13.18	12.71	13.47	11.97	13.33	11.88	13.43	11.13	11.89	11.16	12.71	12.24	12.29	12.97	10.33	8.87	11.70	10.11	12.50	
JALAIUN	KHUTHAN	8.89	6.30	7.62	5.46	6.99	5.35	7.51	3.98	4.60	3.86	5.45	3.98	4.26	7.71	7.58	4.29	7.70	6.15	6.15	
JALAIUN	MACHAYALI SHAMAR	5.45	3.43	5.27	3.51	5.28	3.86	5.52	3.80	3.31	3.02	4.51	3.20	3.50	5.87	5.81	2.54	5.96	4.93	4.93	
JALAIUN	MAHARAJANGU	7.51	7.09	8.11	6.12	7.18	4.30	6.02	1.28	3.77	2.06	4.41	2.31	2.60	6.45	6.31	2.64	6.86	2.75	7.06	
JALAIUN	MAHAYAHODI	8.33	6.79	8.54	6.08	7.80	7.20	8.74	6.39	5.58	5.39	7.81	6.54	6.94	9.29	7.34	4.50	8.17	6.59	6.80	
JALAIUN	MOGRABADSHAMPUR	7.21	6.21	8.05	5.76	7.72	5.57	7.64	3.32	5.90	4.50	6.04	4.55	4.78	8.59	8.14	5.44	8.62	5.77	8.31	
JALAIUN	MUTIGANU	11.07	10.54	11.30	8.18	10.55	9.75	11.22	8.08	8.98	8.51	9.28	8.33	8.34	11.03	9.61	7.03	14.16	12.38	13.97	
JALAIUN	RAMMAGAR	8.56	8.32	9.36	8.20	9.19	8.29	10.26	8.91	9.85	9.04	8.84	9.27	9.31	10.54	8.28	5.57	9.72	9.58	9.68	
JALAIUN	RAMPUR	8.84	7.66	9.53	8.23	9.30	8.91	9.70	7.26	7.82	8.52	8.70	8.88	9.11	10.22	8.67	5.44	8.89	6.81	8.52	
JALAIUN	SIVAGANU	5.89	4.53	5.37	2.42	4.53	2.29	4.97	0.75	3.80	1.19	4.73	1.50	1.97	4.08	4.19	1.28	4.26	1.48	5.13	
JALAIUN	SIKARARA	11.34	9.95	12.52	11.14	12.76	11.61	12.52	9.93	11.15	9.68	11.73	11.26	11.39	12.21	11.14	8.91	13.43	10.44	13.73	
JALAIUN	SUTHA KALAN	4.31	2.11	4.19	1.83	3.83	2.12	3.52	0.57	2.37	0.82	2.73	1.03	1.38	4.07	3.91	1.79	3.68	2.07	3.40	
JALAIUN	SULANGANU	5.73	4.17	5.87	4.79	6.00	4.58	5.82	3.27	4.95	3.90	5.33	4.05	4.24	6.54	5.97	4.44	8.08	3.72	5.47	
JALAIUN	SIRIKONI	12.14	11.32	13.03	12.43	13.63	12.88	14.27	12.02	13.22	12.45	14.02	11.98	11.84	14.48	13.86	12.64	13.98	12.78	15.00	
JALAIUN	BABINA	9.49	5.41	8.93	4.08	8.64	3.63	8.10	3.28	6.00	5.23	7.71	7.48	8.88	5.01	8.17	8.56	9.90	4.37	8.80	
JALAIUN	BAHAIUR	9.10	8.35	9.28	7.31	9.20	7.02	10.23	6.30	8.80	7.98	9.01	9.41	11.42	8.95	9.48	11.22	15.82	10.51	12.35	
JALAIUN	BANGARA	8.00	6.05	9.48	4.80	7.82	4.13	7.43	3.74	6.16	4.50	6.78	7.23	8.52	6.08	9.88	10.04	10.04	12.43	5.34	
JALAIUN	BARAGANON	8.91	4.37	6.82	3.74	6.77	3.92	7.12	3.80	5.38	4.27	6.34	6.28	7.42	5.03	6.98	6.04	7.06	3.83	5.64	
JALAIUN	CHIRAGANON	8.01	5.94	7.68	5.16	7.17	4.66	6.77	4.59	5.90	5.13	6.92	5.86	7.08	4.05	7.05	7.05	6.63	8.92	5.29	
JALAIUN	GURUSARAI	8.85	7.88	9.69	6.73	9.73	5.09	9.66	4.52	6.36	6.88	8.88	8.09	9.72	7.88	10.62	10.58	13.15	9.04	12.08	
JALAIUN	MAHARANIPUR	9.42	7.77	10.62	6.24	10.31	5.70	10.17	5.11	8.63	6.76	9.18	8.39	10.36	5.94	10.86	10.18	11.70	8.09	11.60	
JALAIUN	MOTI	4.86	3.36	5.02	2.25	4.84	2.08	4.82	1.97	4.10	2.58	5.02	3.43	5.95	4.10	4.30	3.85	5.53	2.44	5.88	
JALAIUN	CHHIBRAKAVU	5.77	5.23	4.08	4.88	2.85	-	3.95	2.72	3.69	2.70	3.87	2.87	3.33	14.45	18.85	16.00	16.52	16.85	17.07	
JALAIUN	HASEREN	5.84	5.39	3.90	4.81	2.60	-	3.51	2.62	3.88	2.90	4.08	3.28	4.33	3.23	3.88	2.05	6.37	5.36	6.00	
JALAIUN	JALALABAD	18.50	11.36	10.89	16.15	13.24	-	17.57	17.51	20.82	20.11	21.28	19.90	21.85	21.00	26.50	26.24	28.34	27.63	28.63	
JALAIUN	KANNALU	19.34	19.31	18.62	10.45	17.94	-	10.75	18.75	19.24	18.63	18.65	18.28	20.26	19.84	22.47	21.80	23.39	22.63	23.13	
JALAIUN	SAURIKH	6.21	6.75	5.02	5.83	4.81	-	5.88	4.88	5.57	5.02	5.88	5.26	5.78	4.74	6.13	5.71	6.67	5.57	7.08	
JALAIUN	VALGRAM	15.58	14.85	14.18	15.14	13.97	-	16.58	15.43	17.32	15.83	16.62	16.07	17.21	16.71	17.95	17.55	17.94	17.45	18.07	
JALAIUN	UMARDA	7.87	7.59	6.48	7.33	6.60	-	7.29	8.25	9.57	8.48	10.61	8.90	10.18	9.17	11.05	10.54	11.76	10.60	12.26	
JALAIUN	GUDARAPUR	7.35	6.66	3.68	6.20	3.82	-	14.77	10.30	13.23	12.25	13.20	12.85	13.59	12.34	13.65	13.40	15.16	12.97	14.50	
JALAIUN	AKBARAPUR	5.55	7.68	6.33	7.99	5.57	-	6.61	8.20	9.01	7.82	8.32	8.17	10.52	6.70	10.27	9.91	11.43	9.53	10.38	
JALAIUN	AMBAUDHA	15.21	16.11	16.54	18.04	15.62	17.37	15.88	17.38	17.09	18.11	19.00	16.80	18.94	15.01	18.76	17.80	20.21	21.00	22.00	
JALAIUN	SARWANKHERA	6.97	8.37	7.19	8.45	5.04	7.39	6.01	8.91	10.32	10.59	12.11	10.08	12.18	10.98	12.38	11.44	12.54	12.10	12.79	
JALAIUN	DERAPUR	8.45	11.84	9.20	10.73	7.70	9.81	9.07	10.18	10.67	11.10	13.37	12.83	13.40	11.20	14.51	12.15	17.21	15.38	17.04	
JALAIUN	MAITHA	2.55	4.73	2.59	4.45	2.51	4.26	3.07	5.08	5.79	4.61	5.93	5.08	6.04	6.28	6.65	4.48	7.13	6.82	7.42	
JALAIUN	PAALASA	15.18	16.96	15.21	16.78	15.31	16.57	15.91	13.71	14.37	13.57	14.46	9.87	13.80	-	12.87	11.24	13.83	12.95	13.22	

55

सहाय्य

उपरोक्त ज्ञान मदर्म के माध्यम से आवेक गौरवार्थी
निर सुद्धि पालन से श्रीमान जी के लगभ एक शक्ति प्राप्त किया
की जिसके प्रयोग से कृष्ण कर्मों में जाल लगता 311 पालन
ए कि रहे अहिंसक को हलके के लगभ में वं जाल नंबर
316 स्थितिगत या भी अहिंसक हलके के लगभ 30 अंक के
पिछा है।

उपरोक्त प्रकृत के लगभ में काला कर्मों में जाल नंबर
311 अंक 0 316 है। ताका का रकत 4 दाते सुरक्षित है परन्तु
नगर पंचायत कर्मों द्वारा लाल के किनारे से अहिंसक भी कर्मों
के साथ वास्तु) आने कराय गया है जिसके ताका का अलग
वापिस देता है फिर भी नगर पंचायत कर्मों द्वारा जेह के रूप में
अन्य हीनता के रूप में हांडे जेह ताका का अलग (गरी) है नगर
पंचायत कर्मों द्वारा कदावा गया अनर निर्माण कहीं न कहीं ताका
पर निर्मा है अलग अलग को प्राप्त कर्मों है।

काला कर्मों में जाल नंबर 311 अंक 1149 है। जमि लुगा गजे
गजेश्वरी के नाम वास्तु है ही यह नगर पंचायत के नाम गरी है।
जाल नंबर 161 अंक 1542 है। आराधन वं जाल नंबर 184 अंक 0 121 है। अलग
जाल नंबर 267 अंक 0 168 है। ताका नं 277 अंक 0 044 है। अहिंसक वं
312 अंक 1181 है। अहिंसक कर्मों जम राजाजी भी अने सुरक्षित है किसी
का कि है अने कर्मों नहीं है।

आपका सेवा में प्रेषित है।

25-11-19
(लालकर्म)

सहाय्य

लेखक संस्था संस्था जाले उपले।

25-11-19

असाहि
25/11/19

नगरपंचायत कदौरा नहीं मान रही एनजीटी का कोई आदेश

56

कदौरा जालौन (उ. प्र)। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी नहीं पालन कर रहा अपने कर्तव्य में लगातार हो रहे पर्यावरण नियमों का उल्लंघन और नगर प्राचीन विशाल तालाब की प्रदूषित होकर अपने दयनीय दशा पर माननीय एनजीटी के मुख्य न्यायाधीश श्री आदर्श कुमार गौयल की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा दो बार नगर के प्राचीन जलाशय को शुद्ध करने का आदेश देने बाद भी न तो कदौरा नगरपंचायत द्वारा जलाशय को शुद्ध करने व जलाशय पर हुए अवैध स्थायी व अस्थायी अतिक्रमण को हटाने पर कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है नगरपंचायत द्वारा माननीय एनजीटी जैसे गरिमापूर्ण न्यायालय के आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं नगरपंचायत की इस मनमानी पर उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी धृतराष्ट्र बना बैठा है और

अपने कर्तव्यो का पालन नहीं कर रहा है उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नगरपंचायत द्वारा की जा रही एनजीटी के



आदेश का उल्लंघन करने पर अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है तथा न ही एनजीटी के सामने अपने द्वारा दी गई रिपोर्ट में भी नगरपंचायत द्वारा पर्यावरण नियमों के उल्लंघन और एनजीटी के आदेशों को नगरपंचायत द्वारा हवा में उड़ा देने

वाली बात का भी कहीं जिक्र कर रहा है नगरवासियों के बीच यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नगरपंचायत का क्यों कन्वच बनकर बचाव कर रहा है क्या प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कुछ अधिकारी नगरपंचायत के भ्रष्ट अधिकारियों के प्रभाव में आ गए हैं अगर ऐसा नहीं तो एनजीटी में दी गई रिपोर्ट में नगरपंचायत द्वारा की आदेशों के उल्लंघन की बात का क्यों छिपाव कर रहा है पूर्व स्वयं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरण को क्षति पहुंचाने पर नगरपंचायत के ऊपर लगाये गए एक करोड़ बयासी लाख की राशि को वसूलने की प्रक्रिया को क्यों रोक दिया गया है क्या प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों को इस प्रक्रिया को रोकने के लिये नगरपंचायत द्वारा कोई प्रलोभन दे दिया गया है।

एनजीटी द्वारा प्रतिबंधित 95 साल पुराने जनरेटर और दशको पुरानी रुई मशीनों से नगर की हवा हुई जहरीली

करीब। वायुप्रदूषण को रोकने के जहाँ एक तरफ दिल्ली पुराने वाहनों के चलने से वायुप्रदूषण में रोक लगाई जा रही है तथा पिछले वर्ष दिल्ली में बड़े बड़े वायुप्रदूषण को रोकने के लिये एनजीटी द्वारा सार्वजनिक स्थानों में जनरेटर के प्रयोग परबंदी लगा दी गई है वहीं दूसरी तरफ नगरपालिका कक्ष में पर्यावरण कानूनों की धजियाँ उड़ाकर नगरक्षेत्र अंदर ही बिना लाइसेंस के चल रही अवैध रुई फैक्टरीयों में दशको पुराने जनरेटर धुनेअम चलाने आ रहे जिनके कारण नगर में वायुप्रदूषण दिनोदिन बढ़ रहा है कि नगर के वाहनों को साँस लेने में तकलीफ महसूस होने लगी है वहीं इन रुई कारखानों की

मशीनों खुले चलने से इनसे उड़ने वाले रुई के सूखे रुई के कण वायुमंडल फैलकर नगरनिवासियों को फेफड़ों के शिथे जानलेवा सिद्ध हो सकते हैं वैसे भी नगर के कई बुजुर्ग वना अस्थमा आदि रोगरोगों के पहले से ही मरीज हैं ऐसे में नगर के बायोबीय सार्वजनिक पार्क गुन्नीला मैदान अतिक्रमण करके बताये जा इन अवैध रुई कारखानों में नई मुशीबत खड़ी कर दी है एक तरफ एनजीटी द्वारा वायुप्रदूषण में लगभग लगाने के लिए दिल्ली में लाखों संख्या पुराने वाहनों के चलने में रोक लगा दी गई पुराने वाहनों में प्रदूषण का भारी मात्रा में फैलता है पर लगा नगरपालिका कक्ष द्वारा मनीषी करते हुए एनजीटी

द्वारा प्रदूषण को रोकने के लिए किये जा रहे प्रयासों में पलीता लगाने की कमी इस भी गई है इन अवैध रुई फैक्टरीयों में चलने वाले दशको पुराने जनरेटर मिनकी संख्या एक से नहीं बल्कि दर्जनों में है इनसे भारी मात्रा में प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है इन फैक्टरीयों से चलने वाले जनरेटो के धिमनियों से निकल करत धुआं नगर की वायु प्रदूषित कर रहा है हैयनी की बात है कि इस सार्वजनिक पार्क पर अतिक्रमण करके व निम्नों की अनदेखी करते हुए रुई कर्म जनरेटर जिन्ग जिन्गी टैन गेज का निर्माण किये खुले में ही चलाने जा रहे हैं फैक्ट्रीयों चलने वाले इन पुराने इंजनों से निकल रही है जहरीली मैसों नगर के लोगों अब साँस लेने तकलीफ हो। रही है वहीं


साथों पुरानी मशीनों से बंधकर बनि प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है नगरनिवासियों का कहना है नगरपालिका के अग्रज व डिप्टी अधिकारियों की मिलीभगत से बमशीला मैदान जैसे सार्वजनिक पार्क पर अतिक्रमण करके रसूकरार लोगों ने यहां अपनी गैलवाईसंसी रुई फैक्टरीयों का संबंधन कर रहे हैं जिनसे निकलने वाले रुई के कण साँस लेते समय नाक के अंदर चले जाते हैं व वहीं इन दशको पुरानी खटपट रुई मशीनों के चलने से बंधकर बनि प्रदूषण उत्पन्न हो रहा सार्वजनिक पार्क के सहित आसपास के फुटपाट में इन लोगों द्वारा अपने इंजन रख लिये गये नगर के बायोबीय इन अवैध रुई के कारखानों के द्वारा अतिक्रमण होने से

पालिका की सलाह होने लगी है पर हमारी कोई सुनने वाला नहीं है वहीं एनजीटी पुराने जनरेटो के चलने नगर के अन्दर वायुप्रदूषण समस्य विकराल रूप ले रहे हैं। कई बार की गई गिस्तयते पर नगरपालिका के अधिकारी खुद ही संरक्षण दिए हैं तगर के कई लोगों प्रदूषण की इस समस्या से त्रस्त होकर नगरपालिका में कईबार प्रार्थनापत्र देकर गिस्तयत की पर नगरपालिका द्वारा कभी कोई ध्यान नहीं दिया गया इनके गिस्तयनासन की भी कई बार प्रार्थना गव देकर नगर की समस्या से अवगत कराया गया पर नगरपालिका के सम्भन व गिस्त प्रवासन की उपरीनता के चलते उन्हे इस समस्या कोई निरास नहीं मिल पाई।

साहब खुद ही झोंक गए जनता की आखों में धूल

कदीरा। जब पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी रखने वाला प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अधिकारी है। अपने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़कर पीड़ित जनता को ही गुमराह करने लगे तो उस क्षेत्र के पर्यावरण संसाधनों और पर्यावरण प्रेमियों की क्या दुर्दशा हो रही होगी इसका अंदाजा तो लगाया जा सकता है ऐसा ही हो रहा है नगरपंचायत कदीरा में एनजीटी द्वारा वहाँ के विशाल जलाशय को प्रदूषणमुक्त कराने का आदेश दिया जलाशय के कार्यालय के कार्य की निगरानी का जिम्मा एनजीटी द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दिया गया पर जब कल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी तालाब के निरीक्षण में आये तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहायक सब्जियों की आपूर्ति बढ़ने

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी कर रहे जांच में पक्षपातस



कर लिया कि यह याचिकाकर्ता और नगरवासियों के साथ सौतेला व्यवहार करते हुए नगरपंचायत द्वारा नगर में ही रहीं पर्यावरण अनिश्चितताओं को नजरअंदाज करने लगे याचिकाकर्ता द्वारा नगर के अन्दर चल रहे गैरलाइसन्सी स्लॉ कैबट्रीयों को दिखाया गया तो वो वस उन कैबट्रीयों की अपने छोटे अपने मोबाइल से लेकर अपनी खानापूरी करके वहाँ से चलते बने जब याचिकाकर्ता व नगर के लोगों द्वारा तालाब हुए स्थायी व अस्थायी अतिक्रमण और तालाब में गिर रही सीवर लाइनों व एनजीटी के आदेश के पालन में नगरपंचायत द्वारा कदीरा के कर्मियों ने अपनी खुशामद तापरवाही को दिखाया तो उन्होंने और मेहमाननवाजी उन्हें इतना खुश याचिकाकर्ता सहित नगर के सभी लोगो

नगरपंचायत के अफिस आकर ही अपनी समस्या बताने को कहीं और याचिकाकर्ता द्वारा नगरपंचायत कदीरा द्वारा नगर के पर्यावरण संसाधनों को क्षति पहुंचाने के नगरपंचायत के प्रति नरम रवैया और याचिकाकर्ता को कर रहे गुमराह प्रमाण के कुछ प्रमाणिक दस्तावेज उन्हें दिये गए और तो उन्होंने उसे देखकर भी नजरअंदाज कर दिया और अपनी जांच में शामिल करने से इनकार कर दिया इसके बाद नगरपंचायत के लिफिक राधाबल्लभ के साथ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी नगरपंचायत कार्यालय कदीरा गए और तीन घंटे वही रुड़े रहे अधिशासी अधिकारी के साथ एक घंटे बंद कमरे बतवैत होने

के बाद जब दुबे कमरे से बाहर आये तो अधिशासी अधिकारी द्वारा दिये हर हर काम पर ओख पीचकर साइन करते हुए दिखे जब पत्रकारों द्वारा दुबे से पूछा गया कि नगरपंचायत द्वारा अभी तक तालाब से अक्षय अतिक्रमण क्यों नहीं हटाया गया तो वो इस सवाल पर बचते नजर आये इपर नगर के लोगों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों द्वारा इस तरह के पलायत पूर्ण व्यवहार को देखकर यह चर्चा होती हुई देखी गई कि निश्चित ही बंद कमरे नगरपंचायत के अधिकारियों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों का कुछ भारी सम्मान कर दिया है जो वह नगरपंचायत की ढाल बनकर याचिकाकर्ता व नगरनिवासियों के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं और नगरपंचायत के लोगों की बात ओख पीचकर मान रहे हैं।

जेल गिराव दिया गया के शरणागत राजन :

दुस्साहस: एनजाटी क आदेश का धता बताकर नगर के बीचोबीच रुई फैक्ट्रियां

59

जालौन/कदीरा। कोरोना के कहर बीच नगर के भीतर चल रही अवैध रुई फैक्ट्रियों से नगर में बढ़ रहे वायुप्रदूषण के कारण नगर लोगों के लोगों के लिये भारी मुसीबत बन गई चूंकि कोरोना पीड़ित लोगों की प्रतिरोधक क्षमता ऐसे कम हो जाती ऐसे में उनमें पिछले वर्षों के मुकाबले वायुप्रदूषण झेलने की क्षमताये अब वैसी नहीं रही हैं खासकर कोरोना से जंग जीतकर ठीक हुए लोगों को लिए यह वायुप्रदूषण भयंकर जहर सिद्ध हो

पार्क के पास ही नगरपंचायत द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है जिसके कारण हर एक दो दिन में अधिशाषी अधिकारी सहित नगरपंचायत के कई जिम्मेदार निर्माण के निरीक्षण के लिये आते रहते हैं पर उन्हें दस फुट दूरी स्थित पर चल रही अवैध रुई फैक्ट्रीया क्यों नहीं दिखती क्योंकि वह नगरपंचायत अध्यक्ष की शह पर चल रही हैं इनसे होने वाले वायुप्रदूषण से नगर मे भारी संख्या लोग एलर्जी,दमा,आदि कई रोगों



रहा हैं इस में भी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि बिना लाइसेंस के चल रही यह अवैध रुई फैक्ट्रिया नगरपंचायत कदीरा के जिम्मेदारो की सहमति से चल रही हैं ऐसे इन फैक्ट्रियों के माफिया माननीय एनजीटी के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए यह नगर के भीतर भारी वायुप्रदूषण फैला रहे हैं नगर के लोगों का कहना है इन अवैध फैक्ट्रियो में से कुछ के मालिक नगरपंचायत अध्यक्ष के रिश्तेदार हैं और कुछ बेहद करीबी दोस्त यही वजह वर्तमान समय इस सार्वजनिक

के शिकार हो गये हैं और खासकर इसबार कोरोनाकाल में चल रही यह अवैध रुई फैक्ट्रीया तो प्रतिरोधक क्षमता से कमजोर बीमार और बुजुर्ग लोगों के लिये यह प्रदूषण काल बनकर उनके लिए जानलेवा सिद्ध हो सकते हैं फिर भी न तो नगर की इस ज्वलंत समस्या पर जिलाप्रशासन द्वारा इन अवैध रुई फैक्ट्रीयो को हटाने के लिये कोई कदम उठाये जा रहे हैं और न ही सरकार की तरफ से कोई सुध ली जा रही हैं।

एनजीटी के निर्देश को जिला प्रशासन ने दिखाया ठेंगा

समयसीमा बीतने के बाद भी प्रदूषण का पर्याय बना तालाब

कदीरा। नगर के प्राचीन सदर तालाब पर हो रहे अतिक्रमण व प्रदूषण पर नगरनिवासी द्वारा की याचिका पर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा जिलाधिकारी जालौन को तालाब को अतिक्रमण से मुक्त एवं स्वच्छ करने के दिये गये निर्देश है पूरे एक महीने बीत जाने के बाद भी जिला प्रशासन द्वारा एनजीटी के आदेश को ठेंगा दिखा दिया गया है प्राधिकरण के निर्देश का पालन करने के बजाय जिलाधिकारी के आदेश पर नगरपंचायत द्वारा याचिका कर्ता के नाम के बोर्ड को लगाकर अतिक्रमणकारियों के बीच के याचिकाकर्ता के नाम को सार्वजनिक करके जिलाप्रशासन के जिम्मेदार चादर तानकर सो रहे है माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा दी गई ३० दिन की सीमा बीत गई है

परंतु अभी निर्देश के पालन के लिये एक भी कदम प्रशासन द्वारा नहीं उठाकर एनजीटी के निर्देश को ठेंगा दिखाया जा

करके एनजीटी के निर्देश की खुली अवमानना की जा रही है तालाब में उसी तरह सीवर का पानी गिर रहा है



रहा है तालाब को प्रदूषण मुक्त करने की दिशा में अभी तक कोई भी कार्य न तो नगरपंचायत द्वारा किया गया और न ही जिलाधिकारी द्वारा कोई पहल न

तथा तालाब की वही प्रदूषित अवस्था बरकरार है वहीं याचिकाकर्ता के नाम बोर्ड में लिखकर प्रशासन के जिम्मेदार गहरी नींद में सो रहे हैं।

उपभोक्ताओं को जागरूक होना चाहिए

तीर्थ दर्शन भ्रमण पर

हं कं स व मे तं बं प ७ क १ प हं नि स र

एनजीटी पर याचिका करना पड़ा महंगा

61


डीएम ने लगा दी मुकदमों की बौछार

डीएम के आदेश पर याची का नाम सार्वजनिक करने के बाद याची ने किया पलायन

ले
भी
गा।
तद
स
गा।
ने
उसे
प्रे।
की
हर
त्र
के
री
ने

जालौन। जनपद के कस्बा कदौरा में एक समाजसेवी को पर्यावरण के प्रति चिंता करना बहुत महंगा पड़ गया है एनजीटी पर याचिका से बौखलाए जिलाधिकारी जालौन ने याची पर अपने अधीनस्थ लेखपाल से तहरीर दिलाकर फर्जी मुकदमों की झड़ी लगा दी है हैरत की बात यह है कि याची पुष्पेंद्र एवं उनके परिवार पर जिस प्रकरण को लेकर मुकदमे लगाए गए उस मामले में सिविल कोर्ट द्वारा स्थगन आदेश पारित हो चुका है जिससे जिलाधिकारी की कार्यशैली पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं स्थानीय लोगों का कहना है कि समाजसेवा करने

वालों को जिलाधिकारी द्वारा प्रोत्साहित करने के बजाय अपने पद के बलबूते



दबाया जा रहा है लोगों के मुताबिक जिलाधिकारी जालौन डा. मन्नान अख्तर

का करीबी नगरपंचायत अध्यक्ष कदौरा मुहम्मद जमीर आलम के रिश्तेदारों द्वारा ज्यादातर तालाबों में अतिक्रमण कर अधिकांश तालाबों को नष्ट किया गया है कुछ तालाबों को कब्रिस्तान में परिवर्तित कर दिया गया है जिसके कारण डीएम द्वारा अपने चहेते जमीर आलम के पक्ष में कार्यवाही की गई है, वही डीएम के आदेश पर याची का नाम बोर्ड में लिखकर, डुंगी पिटवाकर और नोटिसों में सार्वजनिक कर दिया गया है जिससे याची भू माफियाओं के निशाने पर है, हत्या का संकट गहराने के कारण याची पलायन कर गया है।

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के आदेश को जालौन प्रशासन ने दिखाया ठेंगा, सदर तालाब में जल रहा कचरा

कदौरा। नगर के सदर तालाब पर किये गए जबरजस्त अतिक्रमण के साथ तालाब पर सीवरेज डालने एवं कचरा जलाने को लेकर एनजीटी में दायर की गई याचिका की सुनवाई पर एनजीटी ने कड़ाई से तालाब अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे साथ ही तालाब पर सीवरेज बंद करने एवं सुन्दरीकरण कराने का भी आदेश दिया था जिससे नगर के लोगो को आस जगी थी कि सदर तालाब पर अब विकास कार्य तेजी से होगा पर जनपद के अधिकारियों को ऐसे आदेशो को न मानने का बुखार वर्षो से चढ़ा हुआ है जिसका नमूना सामने है कि एनजीटी जैसी सख्त कोर्ट का भी आदेश जालौन में हवा हवाई हो गया बताते चले कि अतिक्रमण हटाने के नाम पर नगरपंचायत द्वारा सिर्फ नोटिस जारी कर खानापूति कर दी गयी है लेकिन अक्टूबर माह तक न ही कोई अतिक्रमण हटाया गया है और न ही तालाब से सीवरेज बंद कराया गया है। साथ ही सदर तालाब पर नगरपंचायत द्वारा कचरे का ढेर जलाया जा रहा है।

नगरपंचायत कदौरा द्वारा नाला जोड़ने से तालाब में सीधे गिर रहा सीवर का पानी

63

प्राचीन जलस्रोत प्रदूषण से हुआ बदहाल

कदौरा। नगर कदौरा के वर्षों पुराने तथा अनेक संक्रमण रोग भी नगर फैलते
सदर तालाब में नगर पंचायत कदौरा जा रहे है नगरपंचायत द्वारा तालाब



द्वारा नगर के नालो को जोड़ने से तालाब बुरी तरह प्रदूषित हो चुका है जिसके कारण नगर में भारी बदबू फैल रही है और तालाब में नाला के जुड़े होने से तालाब का पानी सड़ रहा है

कभी सफाई नहीं कराई जाती बल्कि नगरपंचायत के जिम्मेदारो द्वारा इस तरह तालाब ऐसे पर्यावरण संसाधन को खुलेआम हानि पहुचाई जा रही ही है जिसका सबसे ज्यादा खामियाजा सदर


तालाब के पास रह रहे नगरवासियों को झेलना पड़ रहा है जिन्हें प्रदूषण के कारण चर्मरोग(एलर्जी) की समस्या उत्पन्न हो रही है तालाब का पानी सड़ने से मछरों का प्रकोप दिनों दिन बढ़ता जा रहा तथा नगर में मलेरिया बुखार के रोगियों की संख्या बढ़ रही है प्रदूषित तालाब में मानसून के समय मछरों का प्रकोप और भी ज्यादा बढ़ जाता है जिसकी वजह से डेंगू चिकनगुनिया और मलेरिया की बीमारी का दंश नगरवासियों को झेलना पड़ता है नगरनिवासी दीपक कुमार का कहना है कि नगरवासियों द्वारा नगरपंचायत अध्यक्ष समेत अधिशासी अधिकारी से सीधे मिलकर उन्हे कई बार तालाब की सफाई हेतु प्रार्थनापत्र दिया जा चुका है पर उनकी तरफ से तालाब की सफाई में कोई ध्यान नहीं दिया गया।

न०प० अध्यक्ष कदौरा के रसूख के आगे एनजीटी का (६१)

आदेश हुआ बेअसर, नहीं हटेगा सदर तालाब का अतिक्रमण

उरई(जालौन) कदौरा नगरपंचायत अध्यक्ष मुहम्मद जमीर आलम ने अपने रसूख का इस्तेमाल कर सदर तालाब के उन सभी अतिक्रमण कारियों को राहत

अध्यक्ष के करीबी रिश्तेदार है इसके अतिक्रमण लगभग आधा दर्जन अतिक्रमण कारी नगरपंचायत कदौरा में ही अस्थायी तौर पर कार्यरत हैं जिसको लेकर महीनों



दे दी है जिनके द्वारा सदर तालाब के बहुत बड़े रकवे को कब्जे कर लेकर बड़ी बड़ी बिल्डिंग निर्माण करा लिए गए हैं और एनजीटी के आदेश पर जिन्हें ६ वस्त किया जाना था लगभग ६ माह पूर्व राजस्व की टीम ने तालाब अतिक्रमण को लेकर नापजोख की थी जिसमे लगभग ६० अतिक्रमण कारियों को नगरपंचायत द्वारा नोटिस भी दिए गए थे अतिक्रमण

से असमंजस की स्थित बनी हुई थी जिसकी अटकलों पर विराम लगाते हुए नगरपंचायत अध्यक्ष द्वारा बीते दिन अतिक्रमण कारियों के बीच पहुंचकर कहा गया कि अब वे उनका अतिक्रमण नहीं हटवाएंगे इसके लिए उन्हें कितना भी संघर्ष क्यों न करना पड़े अध्यक्ष ने कहा कि वे एनजीटी के आदेश को पूरा करने के लिए दर्जनों घरों को नहीं

तानाशाह जिलाधिकारी जालौन ने

एनजीटी के आदेश की उड़ाई धज्जियां

रि
रोना
कता
कि
जगह
बिना
लता
जपा
मन्त्री
ओपी
काश,
कला
पना,
आदि

जालौन(कदौरा) योगी सरकार भले ही आए दिन वीडियो क न्रेंसिंग के जरिये अधिकारियों के पेंच कसती है लेकिन डीएम जालौन जैसे अधिकारियों के लिए यह महज एक औपचारिकता ही है जनपद जालौन के कदौरा निवासी पुष्पेंद्र कुमार की याचिक पर सुनवाई करते हुए एनजीटी ने जिलाधिकारी जालौन को सख्त आदेश देकर सदर तालाब सहित अन्य तालाबो को अतिक्रमण मुक्त कराने का आदेश दिया था लेकिन महीने भर के बाद भी एनजीटी का आदेश बेअसर ही रहा और जिलाधिकारी ने अतिक्रमण कारियो को नोटिस जारी कर खानापूति कर ली जिसके बाद नगरपंचायत

अध्यक्ष कदौरा जमीर आलम द्वारा अतिक्रमण कारियो को विश्वास दिलाया गया कि यह नोटिस महज खानापूति है जिसकी वजह लोगो के मुताबिक सदर तालाब में अतिक्रमण करने वाले ६०: अतिक्रमण कारी अल्पसंख्यक समुदाय से हैं जिनको जिलाधिकारी जालौन का संरक्षण प्राप्त है एनजीटी के आदेश की अवहेलना जिलाधिकारी के लिए कोई नई बात नहीं है इससे पहले भी जनपद के अन्य तालाबो के अतिक्रमण हटाने को लेकर हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना करने पर अवमानना की कार्यवाही डीएम ड कटर मन्नान अख्तर पर हाईकोर्ट द्वारा की जा चुकी है।

चंड
लग
पीए
निम
का
क्षेत्र
डाम
न हो
है। ए
सड़
लाग
सड़
जबा
शेष
डाम
साथ
हो च

नगरपंचायत कदौरा नहीं करती कचरा प्रबंधन के नियमों पालन नगर में बढ़ रहा प्रदूषण हालात हो रहे दिनों दिन खराब

कदौरा। उत्तर प्रदेश में नगरविकास की तरफ से नगरपालिकाओ व नगरपंचायतो को कचरा प्रबंधन के नाम पर करोड़ों की राशि दी जा रही है पर नगरपंचायत कदौरा में हर वर्ष कचरा प्रबंधन के नाम पर आए रुपयों से नगरपंचायत के जिम्मेदारो द्वारा कचरा प्रबंधन के नाम पर कोई भी काम नहीं किया गया बल्कि उस सरकारी धन को नगरपंचायत के जिम्मेदार मिलकर हड़प जाते है और नगर भर के कचरे को इकट्ठा करके अपनी कूड़ा धोने वाली गाड़ियों से कूड़े करकट इकट्ठा करके मनमानी करते हुए नगरक्षेत्र के अंदर सार्वजनिक जगहों पर डालकर नगरपंचायत द्वारा कर्मियों जला दिया जाता है इस कूड़े करकट में ठोस प्लास्टिक अपशिष्ट,प्लास्टिक पालीथीन,यूज किये गये

इंजेक्शन, आदि होते है जिनके जलने से कई हानिकारक गैसों निकलती जिससे नगर का वायुमंडल प्रदूषित हो रहा है और नगर में दिनोदिन वायु प्रदूषण के बढ़ने नगर के हालात खराब हो रहे है यहीं नगरपंचायत द्वारा नगर में कहीं भी कूड़ा डम्प की व्यवस्था नहीं की गई इसलिए नगरपंचायत द्वारा मनमानी करते हुए नगर के प्राचीन तालाबों में कूड़ा करकट डालकर उन्हें कुड़ेदान में तब्दील कर दिया है तालाब में कुड़े की गंदगी के कारण भूमिगत जल भी प्रदूषित हो रहा है स्थानीय लोगो के मुताबिक तालाब में पानी प्रदूषित होने के कारण कई संक्रामक रोग भी पनप रहे हैं वही नगरपंचायत के जिम्मेदार ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के नाम पर आये हुए रुपयो की घपलेबाजी कर के अपनी झोलियाँ भर रहे हैं।